अध्याय XII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

12.1 यूपीएससीआईडीसीएल के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य

एमजीएएचवी द्वारा निर्माण गतिविधियों तथा निधियों की उपलब्धता को प्राथमिकता दिए बिना उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण तथा अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड (यूपीएससीआईडीसीएल) को ₹ 138.41 करोड़ मूल्य के 49 निर्माण कार्यों को सौंपने के परिणामस्वरूप छः अपूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹ 22.65 करोड़ की निधियों का व्यय करने में हुआ जो मार्च 2017 तक व्यर्थ पड़े रहे थे।

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी) वर्धा को हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित एवं विकसित करने तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने हेतु संसद के अधिनियम (1997 की सं. 3) के माध्यम से जनवरी 1997 में स्थापित किया गया था। एमजीएएचवी अपनी गतिविधियों को पूरा करने हेतु अनिवार्य अवसरंचना के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुदान प्राप्त करता है। सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुदान प्राप्त करता है। जनवरी 2009 से पूर्व, संस्थान की सभी निर्माण गतिविधियों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित किया जा रहा था। बाद में, कुलपति तथा यूपीएससीआईडीसीएल के बीच चर्चा के अनुसरण में निगम से संस्थान से संबंधित सभी निर्माण कार्यो निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया (दिसंबर 2008)। जनवरी 2009 में एक एमओयू किया गया जो बाद में सभी निर्माण कार्यों पर लागू था।

2009-17 की अवधि के दौरान, 49 निर्माण कार्यों को ₹ 138.41 करोड़ की कुल लागत पर यूपीएससीआईडीसीएल को सौंपा गया था। इनमे से, 39 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए थे (मार्च 2017) जिसके लिए मार्च 2017 तक ₹ 39.65 करोड़ अदा किए गए थे। 30 निर्माण कार्यों हेतु अंतिम भुगतान प्रतीक्षित थे। 2015 तक समाप्त किए जाने को निर्धारित किए ₹ 83.87 करोड़ वाले शेष 10 निर्माण

कार्य मार्च 2017 तक अपूर्ण थे। इन अपूर्ण कार्यों पर कुल ₹ 33.06 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इन निर्माण कार्यों सौंपने तथा निष्पादन से संबंधित गतिविधियों की लेखापरीक्षा वित्तीय नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा यह निर्धारित करने कि व्यय के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा जांच ने विभिन्न परियोजनाओं के वास्तविक प्रारम्भ तथा निष्पादन के बिना किसी संयोजन के निधियों के निर्गम में जीएफआर का अनुपालन न करने को प्रकट किया। इसके परिणामस्वरूप यूपीएससीआईडीसीएल को प्रदान की गई कुल ₹ 22.65 करोड़[1] की निधियो के व्यर्थ होने तथा उद्देश्यों, जिनके लिए निधियां जारी की गई थी, की प्राप्ति न होने में हुआ जैसा अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

ए) निधियों की उपलब्धता के बिना निर्माण कार्यों को सौंपना

जीएफआर 2005 के नियम 129 (I) (V) के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा अथवा कोई भी देयता वहन नहीं की जाएगी जब तक कि वर्ष के दौरान प्रभार को पूरा करने हेतु निधियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटित न किया गया हो। 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्माण कार्य सौंपे गए थे तथा उपलब्ध पूंजीगत अनुदान से अधिक भुगतान किए गए थे जैसा **तालिका सं. 1** में दर्शाया गया है:

[1] पैरा बी में उल्लेखित 1 से 6 तक निर्माण कार्यों के संबंध में।

तालिका सं. 1: निधियों की उपलब्धता की तुलना में निर्माण कार्यों की कुल लागत को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के 1 अप्रैल को अथ शेष	यूजीसी से प्राप्त पूंजीगत अनुदान	उपलब्ध कुल निधियां	यूपीए ससी आईडी सीएल को सौंपे गए निर्माण कार्यों की सं.	यूपीएससी आईडीसीएल को सौंपे गए निर्माण कार्यों की कुल लागत	यूपीएससीआईडी सीएल को अग्रिम की राशि (एमओयू के अनुसार अर्थात् निर्माण कार्य की लागत का 33%)	निर्माण कार्यों[2] के प्रति किए गए कुल भुगतान	अंत शेष
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)=(डी)-(एच)
2008-09	शून्य	5.85	5.85	2	7.89	2.60	1.98	3.87
2009-10	3.87	5.00	8.87	6	17.60	5.81	11.30	-2.43
2010-11	-2.43	17.50	15.07	5	1.63	0.54	15.17	-0.10
2011-12	-0.10	32.41	32.31	15	30.07	9.92	14.51	17.80
2012-13	17.80	22.00	39.80	14	64.43	21.26	27.79	12.01

यह स्पष्ट था कि निर्माण कार्यों को कार्य हेतु अपेक्षित पूर्ण राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना मात्र अग्रिमों अर्थात् निर्माण कार्यों की लागत का 33 प्रतिशत के भुगतान हेतु निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के पश्चात सौंपा गया था इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने एमजीएएचवी को चेतावनी (सितंबर 2016) दी थी कि निर्माण कार्यों को निधियों की प्राथमिकता तथा उपलब्धता के बिना सौंपा गया था। अपर्याप्त निधीयन के साथ निर्माण कार्यो के खराब प्रबंधन के कारण 25 निर्माण कार्यों के सबंधं में ₹ 22.32 करोड़ के अग्रिम जनवरी 2017 तक यूपीएससीआईडीसीएल के पास चार से आठ वर्षों तक के बीच की अवधि के लिए अवरूद्ध पड़ी थी।

बी) निष्पादित निर्माण कार्यों में पाई गए कमियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीएससीआईडीसीएल को अग्रिम भुगतानो के निर्गम के बावजूद खराब मानीटरिंग के साथ एमजीएएचवी की ओर से कार्य की प्रगति में

---

[2] यूपीएससीआईडीसीएल, सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएससी) को भुगतान

अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरूप कुल ₹ 22.65 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ जैसा नीचे **तालिका सं. 2** में दिया गया है:

तालिका सं. 2: निधि की निष्क्रियता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य की मद	कार्यआदेश की लागत/निर्धारित समापन	मार्च 2017 तक व्यय[3]	वर्तमान स्थिति (मार्च 2017)	अभ्युक्तियां
1.	क्षेत्रिय केन्द्र, इलाहाबाद का बिल्डिंग तथा स्थल विकास	₹ 11.14/मार्च 2015	₹ 1.80	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	एमजीएएचवी ने अक्तूबर 2013 में यूपीएससीआईडीसीएल को ₹ 1.80 करोड़ के अग्रिम अदा की परंतु बाद में फरवरी 2014 में आवास विकास परिषद (एवीपी) से स्वीकृति हेतु आवेदन किया। स्वीकृति नवम्बर 2017 तक लंबित थी। क्षेत्रिय केन्द्र इलाहाबाद एक किराए के परिसर से कार्य कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप यूपीएससीआईडीसीएल को अदा की गई ₹ 1.80 करोड़ की अग्रिम राशि के व्यर्थ होने तथा अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक ₹ 0.33 करोड़ के किराए के परिहार्य भुगतान में हुआ। एजीएएचवी ने बताया (नवम्बर 2017) कि बिल्डिंग योजना को अभी भी स्वीकृत किया जाना था। उत्तर की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी क्योंकि बिल्डिंग योजना की स्वीकृति को स्थापित करने के संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
2.	स्टाफ क्वार्टर	₹ 10.86/ अक्तूबर 2014	₹ 5.24	40 प्रतिशत समाप्त	एमजीएएचवी ने फरवरी 2013 में ₹ 3.58 करोड़ को अग्रिम अदा किए। तथापि, फरवरी 2016 तक कार्य प्रगति केवल 40 प्रतिशत थी। यूजीसी ने एमजीएएचवी को प्राथमिकता पर कार्य को समाप्त करने तथा अन्य निर्माण कार्यों[4] के अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के समापन हेतु ₹ 50 करोड़ के अनुदान जारी करने के निर्देश दिए (अगस्त 2015 तथा सितंबर 2016)। तथापि, मार्च 2017 तक कोई कार्य नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप

[3] मार्च 2017 तक व्यय में गैर-समायोजित अग्रिम शामिल थी।

[4] लड़कों का छात्रावास, शैक्षणिक ब्लॉक, ट्रांसिट छात्रावास तथा सीवर उपचार संयंत्र

					प्रत्याशित उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ₹ 5.24 करोड़ की निधियों (₹ 2.68 करोड़ की गैर-समायोजित अग्रिम सहित) के अपूर्ण निर्माण कार्य (मार्च 2017) व्यर्थ पड़े रहे। एमजीएएचवी ने उत्तर दिया कि निर्माण कार्यों को निधियों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका था तथा नवम्बर 2015 तथा मार्च 2017 में क्रमश: ₹ 30 करोड़ तथा ₹ 20 करोड़ की निधियां प्राप्त करने के पश्चात 48.21 प्रतिशत निर्माण कार्य को अक्तूबर 2017 तक समाप्त किया गया है। उत्तर तर्कसगंत नहीं है क्योंकि नवम्बर 2015 में ₹ 30 के निर्गम के बावजूद केवल अतिरिक्त आठ अतिरिक्त आठ प्रतिशत की कार्य प्रगति को अक्तूबर 2017 तक पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि मार्च 2017 में अतिरिक्त ₹ 24 करोड़ को संस्वीकृत किए जाने के बावजूद दिसंबर 2016 तथा फरवरी 2017 में ₹ 10 करोड़ प्रत्येक की दो किस्तो में निधियां प्राप्त की गई थीं। इसलिए कार्य की रूकी हुई प्रगति को निधियों की कमी को आरोपित नहीं किया जा सकता।
3.	संग्रहालय हेतु बिल्डिंग	₹ 11.88/ फरवरी 2015	₹ 5.48	20 प्रतिशत पूर्ण	मार्च 2013 में ₹ 3.92 करोड़ के अग्रिम के निर्गम के बावजूद मार्च 2017 तक केवल 20 प्रतिशत कार्य को समाप्त किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ की गैर-समायोजित अग्रिम सहित ₹ 5.48 करोड़ की निधियां (मार्च 2017 तक) व्यर्थ रही तथा प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति का कारण बनी। एमजीएएचवी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि निर्माण को एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाएगा।
4 एवं 5	लड़को का छात्रावास सं. 5 एवं 6	₹ 11.30 प्रत्येक/ अगस्त 2014	₹ 9.46 (छात्रावास सं. 5- ₹ 4.80 तथा छात्रावास सं. 6- ₹ 4.66)	33 प्रतिशत समाप्त	मार्च 2013 में प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 3.73 करोड़ की अग्रिम जारी की गई थी। तथापि, मार्च 2017 तक केवल 33 प्रतिशत कार्य समाप्त किया गया था। जबकि यूजीसी ने अनुदान संस्वीकृत की तथा एमजीएएचवी को प्राथमिकता पर लड़को के छात्रावास को पूरा करने का निर्देश (अगस्त 2015 एवं सितंबर 2016)

					दिया था फिर भी कार्य को केवल जनवरी 2017 में जाकर ही दोबारा प्रारम्भ किया गया था। इसका परिणाम अपूर्ण निर्माण कार्यों में ₹ 5.36 करोड़[5] (मार्च 2017 तक) की गैर-समायोजित अग्रिम सहित ₹ 9.46 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ। एमजीएएचवी ने बताया (नवम्बर 2017) कि निर्माण कार्यों को एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाएगा। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि एमजीएएचवी ने कार्य को पुन: प्रारम्भ करने हेतु जनवरी 2017 में प्रस्ताव किया जबकि निधियां नवम्बर 2015 में प्राप्त की गई थीं।
6.	नार्थ कैम्पस में आम भोजन एवं रसोईघर (लड़को के छावास सं. 3 एवं 4 के बीच)	₹ 2.04/ अप्रैल 2015	₹ 0.67	खुदाई का कार्य समाप्त	मई 2014 में ₹ 0.67 करोड़ की अग्रिम जारी की गई थी। लगभग तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात यूपीएससीआईडीसीएल ने आरेखण[6] प्रदान करने हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) को कहा (30 अप्रैल 2017)। पीएमसी द्वारा सरंचनात्मक डिजाईन[7] को विलम्ब से 15 अप्रैल 2017 को प्रदान किया गया था। आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन ने प्रकट किया कि निर्माण कार्य को अभी फरवरी 2016 में प्रारम्भ किया गया था। लेखापरीक्षा दल द्वारा भौतिक निरीक्षण (मार्च 2017) ने प्रकट किया कि केवल खुदाई का कार्य समाप्त था। इसका परिणाम ₹ 0.67 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ। एमजीएएचवी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि निर्माण कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।
7	**लड़को का छात्रावास सं. 3**	₹ 2.00 मार्च 2013	₹ 3.32	कार्य अक्तूबर 2015 में समाप्त किया गया।	एमजीएएचवी ने आरेखणों में संशोधन के कारण अगस्त 2014 तक समापन के विस्तार को अनुमत किया। कार्य को अक्तूबर 2015 में समाप्त किया गया था। अगस्त 2014 के पश्चात् विस्तार

[5] जैसा जनवरी 2017 में बीसीसी की बैठक में प्रस्तुत अग्रिम के समाधान पर विवरणी में उल्लेख किया गया है।

[6] बरसाती तथा मार्ग हेतु आरेखण

[7] स्लैब बीम का सरंचनात्मक डिजाईन

					प्रदान करने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। कार्य के अंतिम लेखे का अक्तूबर 2015 में कार्य को समाप्त किए जाने के बावजूद भी अभी निपटान किया जाना था। ₹ 5.08 करोड़ के संशोधित अनुमान स्वीकृति हेतु लंबित थे। ₹ दो करोड़ के व्यय की संस्वीकृति के प्रति जुलाई 2016 तक ₹ 3.32 करोड़ का भुगतान किया गया था। एमजीएएचवी ने उत्तर दिया कि बिल्डिंग को पूर्ण किया गया था तथा अक्तूबर 2015 से उपयोग में थी। तथापि, एमजीएएचवी विस्तारित अवधि के परे निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब के साथ-साथ संस्वीकृति से अधिक व्यय हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं कर सका था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान की निर्माण कार्यों को प्रणालीगत प्रकार से प्रबंधित करने तथा आगे बढ़ाने की क्षमता को दोनो निर्माण कार्य प्रबंधन तथा निष्पादन हेतु किसी भी दिशानिर्देशों की कमी के साथ-साथ अत्यंत त्रूटिपूर्ण आतंरिक नियंत्रण तंत्र तथा प्रक्रियाओं ने कम किया था। एमजीएएचवी द्वारा निर्माण कार्य पंजिका, कार्य अग्रिम भुगतान पंजिका, कार्य-वार भुगतान पंजिका तथा पूंजीगत अनुदान पंजिका का अनुरक्षण नहीं कर रहे हैं। 'समाधान विवरणी'[8] के अनुसार 25 निर्माण कार्यों के संबंध में ₹ 22.32 करोड़ के अग्रिम मार्च 2017 तक चार से आठ वर्षों के बीच की अवधि के लिए यूपीएससीआईडीसीएल के पास व्यर्थ पड़े थे। इसके अतिरिक्त, यूपीएससीआईडीसीएल को सौंपें गए 49 निर्माण कार्यों की कुल लागत को 'योजनागत व्यय विवरणी' में ₹ 138.25 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था जबकि 'समाधान विवरणी' में इसे मार्च 2017 को ₹ 129.50 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था। ऐसी कमियां तथा विसंगतिया किसी अर्थपूर्ण आंतरिक तंत्र के अभाव की सूचक थी।

मामला अगस्त 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

---

[8] विवरणी को यूपीएससीआईडीसीएल को अग्रिम भुगतानों का समाधान करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार की गई थी तथा जनवरी 2017 में बीसीसी बैठक में प्रस्तुत की गई।

तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरूवरूर

12.2 निर्माण गतिविधियों में विलम्ब तथा अधिक लागत होना

यूजीसी दिशानिर्देशों ता सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं का निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.32 करोड़ की लागत के अधिक होने के साथ-साथ समापन में विलम्ब हुआ। पुस्तकालय इमारत आंशिक रूप से रिक्त तथा ₹ 15.40 करोड़ के व्यय करने तथा चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात भी अपूर्ण रही है। इसके अतिरिक्त, अविवेकपूर्ण स्थल चयन तथा अधिक निर्माण के साथ-साथ मानदण्डों से विचलन का परिणाम ₹ 19.82 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

12.2.1 प्रस्तावना

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित थिरूवरूर में तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने सितंबर 2009 में तमिलनाडु सरकार (जीओटीएन) द्वारा आबंटित एक स्थायी इमारत में कार्य करना प्रारम्भ किया। सीयूटीएन को जुलाई 2013 से चरणबद्ध प्रकार से अपने नए परिसर में भेज दिया गया तथा वह 22 विभागों सहित दस विघालयो के साथ कार्य कर रहा है। 2008-09 से 2016-17 के दौरान सीयूटीएन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कुल ₹ 544.90 करोड़ की अनुदान प्राप्त किए। इसमें से, सीयूटीएन ने निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों हेतु सीपीडब्ल्यूडी के पास ₹ 395.83 करोड़ जमा किए। सीपीडब्ल्यूडी ने मार्च 2017 तक ₹ 378.11 करोड़ का उपयोग किया था।

प्रारम्भ से 2016-17 तक की अवधि को शामिल करके परिसर के निर्माण से संबंधित निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी कि क्या गतिविधियों को एक कुशल तथा मितव्ययी प्रकार से तथा वर्तमान नियमों एवं विनियमो के अनुसार तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर की गई थी।

सीयूटीएन ने नवम्बर 2009 में चरण-**I** को स्वीकृत किया जिसमें ₹ 114.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर 11 बिल्डिगों का निर्माण शामिल था। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर नीचे चर्चा की गई है:

12.2.2 निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन के कारण विलम्ब तथा अधिक लागत होना

एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को लक्ष्यित समय सीमा तथा लागत के भीतर अभिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु परियोजना गतिविधियों की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन हेतु परियोजना निरूपण के भाग के रूप में तैयार किया जाना अपेक्षित है। यूजीसी के दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक निर्माण समिति होनी चाहिए तथा सभी योजनाएं तथा परियोजनाओं के अनुमान इस समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं।

सितंबर 2009 में, सीयूटीएन ने निर्णय लिया कि चरण-I के अंतर्गत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु एक फास्ट ट्रैक पद्धति का अनुपालन किया जाएगा जहां सीपीडब्ल्यूडी शैक्षणिक संस्थानों जैसे पोंडिचेरी विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय प्रौघोगिकी संस्थान (एनआईटी) तिरूचिरापल्ली में पहले से ही मौजूद बिल्डिंगो के आरेखणों पर आधारित अनुमान तैयार करेगा तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इन अनुमानों के आधार पर निविदा आमंत्रित करेगा। इसे वास्तुकार को शामिल करने, बिल्डिंग के डिजाईन की स्वीकृति, प्रशासनिक संस्वीकृतियां प्राप्त करने तथा निविदा आमंत्रित करने से पूर्व विस्तृत अनुमान तैयार करने की पारम्परिक दृष्टिकोण में अपेक्षित समय की बाध्यताओं से निपटने हेतु अपनाया गया था। कार्य को कार्य को सौंपने के पश्चात तैयार किए जाने वाले आरेखणों के आधार पर निष्पादित किया जाना था तथा सीटीएन विचलनों, यदि कोई हो, हेतु वित्तीय विवक्षाओं को वहन करेगा। तद्नुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने नवम्बर 2009 में अनुमान तैयार किए तथा सीयूटीन द्वारा कुल ₹ 114.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (एए एवं ईएस) उसी माह में प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीयूटीएन द्वारा अपनाई गई पद्धति यूजीसी के दिशानिर्देशों[9] जिसने निर्माण समिति द्वारा सभी परियोजनाओं की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य किया था, से भिन्न थी। वर्तमान मामले में, दोनों निर्माण तथा वित्त समितियों की कार्योत्तर स्वीकृति दिसंबर 2010 में प्राप्त की गई थी। यह

---

[9] XI योजना के दौरान केन्द्रीय, मानी गई राज्य विश्वविघालयों को आम विकास सहायता हेतु यूजीसी के दिशानिर्देश

प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका के भी विपरित थी। जिसमें अपेक्षित था कि अनुमान तैयार करने से पूर्व मृदा की प्रवृति, बुनियाद का प्रकार आदि से संबंधित सूचना को प्राप्त किया जाना है जो नही किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बाद में नियुक्त वास्तुकला परामर्शदाता को कार्य के वास्तविक निष्पादन हेतु संशोधित आरेखण तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिसका परिणाम कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन तथा दो से तीन वर्षों तक परियोजनाओं के समापन में परिणामी विलम्ब के साथ-साथ ₹ 46.32 करोड़ अर्थात् 40 प्रतिशत की कुल अधिक लागत होने में हुआ।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि सीपीडब्ल्यूडी ने वास्तुकला परामर्शदाता को डिजाईन तथा प्रारम्भिक अनुमान तैयार करने हेतु नियुक्त किया तथा इजीनियरिंग डाटा जैसे कि मृदा स्तर सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी। उसने यह भी बताया कि एनआईटी तिरूचिरापल्ली तथा पोंडिचेरी विश्वविद्यालय को माडलो को कार्य तीव्र करने का सुझाव दिया गया था। सीपीडब्ल्यूडी को कार्य आलेखनों को संशोधित करना था जब स्थल की स्थिति इतनी औचित्यपूर्ण थी और इसे अधिक लागत नहीं माना जा सकता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तुकला परामर्शदाता ने पोंडिचेरी विश्वविद्यालय तथा एनआईटी तिरूचिरापल्ली के डिजाईन के आधार पर निविदा आमंत्रित करने के सीयूटीएन के निर्णय के कारण निविदां प्रक्रिया को समाप्त किए जाने के पश्चात् ही स्थल स्थिति तथा मृदा जांच के आधार पर विस्तृत डिजाईन तैयार किए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यकारी आरेखणों तथा अनुमानों को एक से अधिक अवसरो पर पर्याप्त रूप से संशोधित करना था क्योंकि निविदा आरेखण स्थल की स्थिति तथा उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं थे जिसका परिणाम न केवल लागत के अधिक होने में हुआ बल्कि निर्माण को फास्ट ट्रेक करने का मूल उद्देश्य भी विफल हुआ था। इससे बचा जा सकता था अगर सीयूटीएन ने वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर डीपीआर तथा अनुमानों को तैयार करने को निर्धारित करने वाले यूजीसी के दिशानिर्देशों तथा सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका का अनुपालन किया होता।

12.2.3 पुस्तकालय की बिल्डिंग का निर्माण

सीयूटीएन ने 3000 वर्ग मीटर के कुल प्लिन्थ क्षेत्र के साथ ₹ 5.82 करोड़ के पुस्तकालय ब्लॉक के निर्माण को अनुमोदित किया (नवम्बर 2009)। अक्तूबर 2010 में आमंत्रित निविदा को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रशासनिक कारण बताते हुए नवम्बर 2010 में रद्द कर दिया गया था। बाद में, वास्तुकला परामर्शदाता के आरेखणों के आधार पर सीयूटीएन ने दिसंबर 2010 में 5,282 वर्ग मीटर के कुल प्लिन्थ क्षेत्र के साथ ₹ 11.64 करोड़ के संशोधित अनुमान को संस्वीकृत किया। कार्य एक ठेकेदार को ₹ 8.34 करोड़ के लिए सौंपा (जनवरी 2011) गया था। तथापि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा छः महीनो से अधिक तक सरंचनात्मक आरेखणों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण ठेकेदार ने करार को रोकने हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अनुरोध किया (जून 2011) तथा संविदा को अगस्त 2011 में रोक दिया गया था। कार्य की अगस्त 2011 में पुन: निविदा की गई थी तथा कार्य को 12 महिनों की निर्धारित समापन अवधि के साथ ₹ 10.10 करोड़ हेतु फरवरी 2012 में अन्य ठेकदार को सौंपा गया।

अक्तूबर 2014 में, सीपीडब्ल्यूडी ने ₹ 17.79 करोड़ का एक संशोधित अनुमान[10] प्रस्तुत किया। सीयूटीएन ने सीपीडब्ल्यूडी को निधियों की कमी के कारण कार्य के क्षेत्र को कम करने का अनुरोध किया (जनवरी 2015)। जबकि सीयूटीएन ने पुन: संशोधित अनुमान (अक्तूबर 2015) को स्वीकृत किया था फिर भी कार्य को ₹ 15.40 करोड़ (मार्च 2017) का व्यय करने के पश्चात जनवरी 2016 में रोक दिया गया था। कार्य के कम किए गए क्षेत्र के साथ भी बिल्डिंग को अभी भी अन्तत: पूरा किया जाना था (मार्च 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार को सरंचनात्मक आरेखण प्रदान करने में सीपीडब्ल्यूडी की ओर से छः महीनों से अधिक का विलम्ब अनुबंध को रोकने तथा पुन: निविदा की परिणामी आवश्यकता का कारण बना।

---

[10] लागत सूचकांक में परिवर्तन, खराब मृदा स्थिति के कारण बुनियाद का अतिरिक्त सुदृढीकरण, अतिरिक्त प्रावधान जैसे लिफ्ट, स्वचालित अग्नि अलार्म प्रणाली आदि के कारण।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.76 करोड़[11] की लागत वृद्धि हुई तथा एक वर्ष के विलम्ब में हुआ। इसके अतिरिक्त, बुनियाद में परिवर्तन तथा इसमें शामिल अतिरिक्त व्यय का सीटीयूएन को अक्तूबर 2014 में जाकर अर्थात् फरवरी 2012 में कार्य सौंपने के पश्चात ढाई वर्षों के पश्चात ही पता चला था। यह सीयूटीएन द्वारा कार्य की प्रगति की अपर्याप्त मॉनीटरिंग का सूचक था।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि डिजाईन प्रारम्भ में भू तथा प्रथम तल के लिए तैयार किया गया था। चूंकि एक और तल की आवश्यकता थी इसलिए बुनियाद में परिवर्तन करना था। जिसमें अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, प्रथम तल में लर्नर रिसोर्स यूसिंग सेंटर तथा दूसरे तल में विश्व स्तरीय सभागार-सह-थियेटर का कार्य प्रगति में है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बुनियाद में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्यय का अक्तूबर 2014 में पता चला था जबकि भू-तल और दो तलो सहित पुस्तकालय बिल्डिंग का जनवरी 2011 में सौंपा गया था। एक अतिरिक्त तल की आवश्यकता की देरी से अनुभूति अपने आप में अपर्याप्त संप्रत्ययीकरण तथा योजना का सूचक था। मूल योजना के अनुसार, दूसरे तल की दृश्य-श्रय कक्ष एवं अभिलेख भण्डारण कक्ष, सरंक्षण कक्ष, संग्रहण स्थान, लॉन्ज बैठक, भण्डार प्रबंधक कक्ष, पुरानी पुस्तक स्टोर, पिछला मामला कक्ष तथा फर्नीचर भण्डार हेतु उपयोग किए जाने की योजना की गई थी। परंतु सीयूटीएन ने इसे अब सभागार सह थेयटर हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव किया जिसके लिए कार्य को अभी भी प्रारम्भ किया जाना था।

इस प्रकार, पुस्तकालय बिल्डिंग ₹ 5.82 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के प्रति ₹ 15.40 करोड़ का व्यय करने तथा चार वर्षो के विलम्ब के पश्चात भी आंशिक रूप से खाली तथा अपूर्ण रही।

12.2.4 प्राध्यापक क्वार्टरों का अधिक निर्माण

सीयूटीएन ने ₹ 12.44 करोड़ के 30 प्राध्यापक क्वार्टरो (टाईप VI) को संस्वीकृत किया (नवम्बर 2009) तथा कार्य को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिसंबर 2010 में एक ठेकेदार को सौंपा गया। बाद में, आरेखण को वास्तुकला द्वारा संशोधित किया

[11] पहले की निविदा ₹ 8.34 करोड़ हेतु जनवरी 2011 में सौंपा गया तथा संशोधित निविदा को ₹ 10.10 करोड़ हेतु फरवरी 2012 में सौंपा गया।

गया था तथा सीयूटीएन ने ₹ 19.29 करोड़ हेतु संशोधित संस्वीकृति प्रदान की (जून 2011)। कार्य को ₹ 19.27 करोड़ के व्यय पर जून 2013 में पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूजीसी ने 20 विभागों हेतु प्रध्यापकों के 20 पदो को संस्वीकृत किया था (अप्रैल 2011)। सीयूटीएन ने 30 प्रध्यापक क्वार्टरों हेतु जून 2011 में संस्वीकृति प्रदान करते समय केवल 20 पदो की यूजीसी की संस्वीकृति पर ध्यान नहीं दिया था जिसका परिणाम 10 अधिक क्वार्टरो पर ₹ 6.42 करोड़[12] के परिहार्य अनुमानित व्यय में हुआ। निर्माण किए गए 30 क्वार्टरों में से केवल सात क्वार्टर प्राध्यापकों को आबंटित किए गए हैं जबकि तीन क्वार्टरों को अतिथिगृह में परिवर्तित कर दिया गया था, तीन को वित्त अधिकारी, नियंत्रक जांच एवं रजिस्ट्रार को आबंटित किया गया था तथा शेष 17 क्वार्टर जून 2017 तक खाली थे।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि जबकि यूजीसी ने 20 प्राध्यापकों वाले 20 विभागों को संस्वीकृत किया था फिर भी संस्वीकृति में अतिथि प्राध्यापकों, प्रध्यापक ऐमेरिटस आदि हेतु परिकल्पित किसी अतिरिक्त आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। सीयूटीएन ने यह भी बताया कि पदो का आबंटन अवरूद्ध नहीं बल्कि बढ़ने वाला है तथा मास्टर प्लान में प्रत्येक विद्यालय में कुछ विभागों तथा पाठ्यक्रमों वाले 30 विद्यालयों का प्रावधान है।

सीयूटीएन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अतिथि प्राध्यापकों को अलग क्वार्टर आबंटित नहीं किया जाता है बल्कि उचित प्रकार से अतिथिग्रह में ठहराया जाता है जिसका सीयूटीएन द्वारा अलग से निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीयूटीएन द्वारा तैयार मास्टर प्लान में सीयूटीएन द्वारा खोले जाने को प्रस्तावित विद्यालयों विभागों की संख्या के कोई विवरण नहीं थे।

12.2.5 स्वीकृत प्लिंथ क्षेत्र के आधिक्य में छात्रावास बिल्डिंग का निर्माण

सीयूटीएन ने ₹ 17.24 करोड़ की लागत पर प्रत्येक छात्रावास हेतु 3,956 वर्ग मीटर के प्लिन्थ क्षेत्र सहित 200 छात्रों (पुरूष तथा महिला हेतु प्रत्येक) के छात्रावास स्थान के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 2009)। निविदाएं

---

[12] कुल व्यय ₹ 192667000÷30= 6422333×10 क्वार्टर= ₹ 64223330 अथवा ₹ 6.42 करोड़

जनवरी 2010 में आमंत्रित किए गए थे तथा दोनों निर्माण कार्यों को ₹ 16.95 करोड़ की लागत पर मार्च 2010 में सौंपा गया था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रत्येक छात्रावास हेतु 7219 वर्गमीटर के प्लिन्थ क्षेत्र सहित ₹ 28.44 करोड़ की कुल लागत पर कन्या छात्रावास हेतु दिसंबर 2012 में तथा लड़को के छात्रा हेतु मार्च 2013 में कार्य को समाप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रावास बिल्डिंग के समापन के पश्चात सीपीडब्लयूडी ने सीयूटीएन को संशोधित अनुमान प्रेषित किए (दिसंबर 2013) जिसमें यह बताया गया था कि संशोधित अनुमान प्रत्येक छात्रावास हेतु प्लिन्थ क्षेत्र में 3,956 वर्गमीटर से 7,219 वर्ग मीटर तक की वृद्धि के कारण आवश्यक थे। यधपि निर्माण समिति ने 20 फरवरी 2015 को हुई अपनी बैठक में प्लिन्थ क्षेत्र में वृद्धि के मामले को उठाया था फिर भी उसने प्लिन्थ क्षेत्र में वृद्धि हेतु कारणों को प्रस्तुत करने की सलाह के साथ सीपीडब्ल्यूडी (दिसंबर 2015) द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों को स्वीकृत किया।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) के मूल रूप से तैयार किया गया डिजाईन छोटा था तथा इसलिए सीपीडब्ल्यूडी ने संशोधित अनुमान तैयार किए। उसने यह भी बताया कि मूल अनुमान के समय लागत तालिका में कार्य को प्रारम्भ करने के समय तक वृद्धि हुई जिसने लागत को भी प्रभावित किया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छात्रावास बिल्डिंग हेतु मूल डिजाईन 200 छात्रों के लिए था तथा बढ़ाए गए प्लिन्थ क्षेत्र के साथ संशोधित डिजाईन भी उतने ही छात्रों के लिए था तथा इसलिए प्लिन्थ क्षेत्र को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है बाद में कि सीयूटीएन में 7,543 वर्गमीटर के प्लिन्थ क्षेत्र सहित दो 300 बिस्तर वाले छात्रावासों का निर्माण (अगस्त 2016 तथा जनवरी 2017) किया गया था। इसलिए लगभग 82 प्रतिशत तक प्लिन्थ क्षेत्र में अनुचित वृद्धि को अनुमान के संशोधन तथा ₹ 5.98 करोड़[13] के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। संशोधित अनुमानों को निर्माण समिति द्वारा बिना किसी औचित्य के स्वीकृत किया गया था जो खराब वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण का सूचक था।

---

[13] दोनों छात्रावासों की वास्तविक लागत (मैस ब्लॉक की लागत को हटाने के पश्चात) ₹ 23.22 करोड़ घटा मूल अनुमानित लागत ₹ 17.24 करोड़

12.2.6 चरण-II के अंतर्गत निर्माण

सीयूटीएन ने मार्च 2011 से ₹ 213.78 करोड़ की अनुमानित लागत पर चरण II के अंतर्गत 14 निर्माण कार्यों का निर्माण को प्रारम्भ किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है।

12.2.6.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्थल का अविवेकपूर्ण चयन

जीओटीएन ने सीयूटीएन के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु 517 एकड़ भूमि आबंटित की जिसमें 3.63 एकड़ भूमि शामिल थी जहां 39 परिवारों को मुफ्त पट्टा प्रदान किया गया था। राज्य सरकारी प्राधिकरणों/सीयूटीएन द्वारा बातचीत के कई अवसरो के पश्चात भी परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने के मामले का निपटान नहीं किया जा सका था। इसी बीच, सीयूटीएन ने विवादित भूमि के निकटवर्ती स्थल पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) का निर्माण करने का निर्णय लिया तथा ₹ 5.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2012)।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पीएचसी के निर्माण का कार्य मई 2013 तक समापन हेतु जुलाई 2012 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था। कार्य को परिवारों द्वारा लगातार विरोध के कारण बुनियाद तथा क्रंकीट बेसमेंट पर ₹ 32.01 लाख का व्यय करने के पश्चात जुलाई 2014 में परित्याग किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीयूटीएन निकटवर्ती भूमि की विवादित स्थिति तथा इन परिवारों द्वारा विरोध से अवगत था। फिर भी सीयूटीएन पीएचसी के निर्माण हेतु विवादित भूमि के निकटवर्ती स्थल के चयन हेतु गया था जो अंतत: ₹ 32.01 लाख का व्यय करने के पश्चात कार्य के परित्याग का कारण बना।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि भूमि विवादित क्षेत्र का भाग नहीं है तथा इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को वैध रूप से सूपूर्द किया गया था। उसने बताया कि कार्य को रोकना पूर्णत: अस्थायी था तथा इसे किसी भी समय प्रारम्भ किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बातचीत के माध्यम से इन परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने के मामले का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। अगर पीएचसी के निर्माण के स्थल का चयन इस क्षेत्र के निकटवर्ती था तो सीयूटीएन

को बाधा से प्रत्याशित होना चाहिए था। इसलिए, पीएचसी को अपने परिसर में दूसरे स्थान पर ले जाना सीयूटीएन के लिए विवेकपूर्ण होगा। सीयूटीएन सात वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् भी इन परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने में समर्थ नहीं था। इस प्रकार, एक पीएचसी के निर्माण के उद्देश्यों को ₹ 32.01 लाख का व्यय करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।

12.2.6.2 क्वार्टरों के निर्माण में मापदण्डों से विचलन

यूजीसी दिशानिर्देश[14] अनुबंध करते है कि बिल्डिंग के अनुमान सीपीडब्ल्यूडी अथवा राज्य पीडब्ल्यूडी के मापदण्डों, विशिष्टता तथा दरों की सूची के अनुसार होने चाहिए। वर्तमान नियमावली[15] के अनुसार, ₹ 4200 अथवा अधिक के ग्रेड वेतन वाले अधिकारी 76.02 वर्गमीटर[16] वाले टाईप III क्वार्टरों के पात्र है। निर्धारित पैमानो से आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जब कि उपभोक्ता विभाग द्वारा विशेष रूप से मांग न की गई हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गैर-शिक्षण स्टाफ हेतु 32 टाईप III क्वार्टरों का निर्माण ₹ 10.11 करोड़ की लागत पर 4,305.4 वर्ग मीटर के कुल प्लिन्थ क्षेत्र के साथ पूर्ण किया गया था। प्रत्येक क्वार्टर का निर्माण 76.02 वर्गमीटर के निर्धारित मापदण्ड के प्रति 134.54 वर्ग मीटर के क्षेत्र अर्थात् 76.98 प्रतिशत अधिक के साथ किया गया था। मापदण्डो के प्रति अधिक प्लिन्थ क्षेत्र को अपनाने हेतु अनुमानों में कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया था। यूजीसी दिशानिर्देशों तथा सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों के प्रति टाईप III क्वार्टरों हेतु प्लिन्थ क्षेत्र के गलत अभिग्रहण का परिणाम लगभग ₹ 4.40 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।

---

[14] पैरा 4.4-XI योजना (2007-12) के दौरान केन्द्रीय, मानी गई तथा राज्य विश्वविघालयों को सामान्य विकास सहायता हेतु दिशानिर्देशों में "विभिन्न बिल्डिंग परियोजनाओं हेतु योजनाएं तथा अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया"।

[15] अनुपूरक नियमावली 317- बी 5 तथा सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के परिशिष्ट 5 के साथ पठित धारा 4.1.3

[16]

टाईप	इकाई का क्षेत्र	सीढ़ी/प्रसार	बालकॉनी को बाहर निकालना	साईकल/स्कूटर शैड/ गैराज	वास्तुकला विचार	कुल क्षेत्र वर्ग मीटर
III	55.75	5.00	7.45	4.20	3.62	76.02
VI	223	10.5	16	20.90	शून्य	270.40

इसी प्रकार, 37,400-67,000 के वेतनमान तथा ₹ 10,000 के ग्रेड वेतन वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार तथा सीयूटीएन के कुलपति सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों के अनुसार 270.40 वर्गमीटर के क्षेत्र वाले टाईप VI क्वार्टरो के पात्र थे। तथापि, सीयूटीएन ने 270.40 वर्ग मीटर के मापदण्डो के प्रति 845 वर्गमीटर तथा 544 वर्ग मीटर के प्लिन्थ क्षेत्र के साथ क्रमश: वीसी/रजिस्ट्रार के आवासों का निर्माण किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि अधीक्षक अभियंता, योजना, सीपीडब्ल्यूडी ने सीयूटीएन को सूचित किया (मार्च 2011) कि वास्तुकार आरेखण में विचार किया गया प्लिन्थ क्षेत्र स्वीकृत मापदण्डों से अधिक था फिर भी सीयूटीएन ने प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (जून 2011) प्रदान करते समय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सदंर्भित मापदण्डो पर ध्यान नहीं दिया था। तदनुसार, वीसी/रजिस्ट्रार के आवासों का 270.40 वर्गमीटर के प्रति क्रमश: 845 वर्ग मीटर तथा 544 वर्ग मीटर के प्लिन्थ क्षेत्र के साथ ₹ 4.37 करोड़ के व्यय पर निर्माण किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 2.70 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि वास्तव में नियम पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, इसे जीआरआईएचए[17] मापदण्डों को अपनाने के कारण संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के प्लिन्थ क्षेत्र मापदण्डों का अनुपालन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, जीआरआईएचए मापदण्ड संसाधनो के सरंक्षण तथा उपयोग को बढ़ाने हेतु हरित बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के संबंधित है न कि प्लिन्थ क्षेत्र पर चर्चा करते है।

इस प्रकार, सीपीडब्ल्यूडी की अभ्युक्तियों के बावजूद अनुमानों तथा गलत प्लिन्थ क्षेत्र को अपनाने को स्वीकृत करते समय सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों को स्वीकार करने में सीयूटीएन की विफलता का परिणाम ₹ 7.10 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।

---

[17] जीआरआईएचए नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा डिजाईन, निर्माण, संचालन को सहायता तथा एक संसाधन प्रभावित निर्मित वातावरण को बनाए रखने हेतु एक साधन।

12.2.6.3 रसायन प्रयोगशालाओं का व्यर्थ होना

सीयूटीएन ने मार्च 2011 में रसायन विभाग हेतु प्रयोगशाला आधारित विद्‌यालय (एलबीएस) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की। कार्य को अगस्त 2012 में प्रारम्भ तथा ₹ 15.70 करोड़ की लागत पर फरवरी 2015 में समाप्त किया गया था। 15 प्रयोगशालाओं में से, 13 प्रयोगशालाएं अवसरंचना तथा उपकरण[18] की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं थी। सीयूटीएन ने प्रयोगशाला आधारित विद्‌यालय को सज्जित करने हेतु एक परामर्शदाता को नियुक्त किया (फरवरी 2015) तथा अवसरंचना के सृजन हेतु कार्य आदेश दस महीनों की निर्धारित समापन अवधि के साथ मार्च 2017 में प्रदान किया गया था। प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति हेतु कार्य आदेश प्रतीक्षित था (जून 2017)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान रसायन विभाग में कुल 210 छात्रों का दाखिला किया गया था तथा पाठ्‌यक्रमों को उपयुक्त प्रयोगशाला के बिना पूरा किया जा रहा था। प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब का परिणाम फरवरी 2015 से 13 प्रयोगशालाओं के व्यर्थ होने तथा छात्रों को प्रयोगशाला सुविधा से इंकार में हुआ।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि प्रारम्भिक निर्माण के समय प्रयोगशाला उपकरण की संस्थापना हेतु प्रावधानों को निश्चित रूप से निर्धारित करने हेतु कोई संकाय नहीं था तथा इसका प्रारम्भिक स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सका था।

सीयूटीएन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीयूटीएन ने सिविल कार्य की समाप्ति के पश्चात केवल फरवरी 2015 में जा कर ही परामर्शदाता की नियुक्ति की थी। परामर्शदाता की प्रयोगशाला के निर्माण के समय के साथ-साथ नियुक्ति की गई होती तो 13 रसायन प्रयोगशाला के व्यर्थ होने से बचा जा सकता था। इस प्रकार, समन्वय तथा उपयुक्त योजना की कमी ढ़ाई वर्षों से अधिक के लिए 13 प्रयोगशालाओं के व्यर्थ रहने का कारण बनी।

[18] प्रयोगशाला का फर्नीचर एवं सहायक उपकरण, एचवीएसी हेतु इलैक्ट्रिक्ल निर्माण कार्य, फ्यूम हुड एवं सहायक उपकरण, केल्सियम बिलिकेट पार्टिशन, इलैक्ट्रिकल एवं अग्नि अर्लाम प्रणाली, गैस संवितरण प्रणाली, प्रयोगशाला निकास प्रणाली तथा अन्य इलैक्ट्रिकल कार्य।

12.2.7 निष्कर्ष

यूजीसी दिशानिर्देशों तथा सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन का परिणाम समय तथा लागत के अधिक होने में हुआ। 11 निर्माण कार्य जिनका प्रारम्भ में ₹ 114.45 करोड़ का प्रस्ताव किया गया था उन्हे विशिष्टताओं तथा आरेखणों में परिवर्तन के कारण 17 से लेकर 46 महीनों के बीच के विलम्ब के साथ ₹ 160.77 करोड़ की लागत पर समाप्त किया गया था। ₹ 15.40 करोड़ की लागत निर्मित पुस्तकालय बिल्डिंग का अभी भी प्रत्याशित उद्देश्य हेतु पूर्णत: उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त, पीएचसी हेतु स्थल के अविवेकपूर्ण चयन, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्मिकों हेतु क्वार्टरों के निर्माण में मापदण्डों से अधिक निर्माण/विचलन तथा अधिक प्लिन्थ क्षेत्र के साथ छात्रावास बिल्डिंगों के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 19.82 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। अंतत:, 13 रसायन प्रयोगशालाएं अवसंरचना तथा उपकरण की अनुपलब्धता के कारण व्यर्थ रहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

12.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता हेतु महिलाओं के होस्टल के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा लिंग समानता के लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु महिलाओं को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था तथा स्फीत अनुमानों पर ₹ 56.11 लाख की अनुदान की अधिक स्वीकृति थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.16 करोड़ की अनुदान के भुगतान वाली 31 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक के बीच की अवधियों के पश्चात भी अपूर्ण रही जबकि ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर तैयार किए गए दो होस्टल तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रहे।

12.3.1 प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में निधियां एवं

समन्वय प्रदान करने, निर्धारण तथा मानकों को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। यूजीसी महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा लिंग समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला होस्टल का निर्माण की एक योजना (योजना) को कार्यान्वित कर रहा है। कोलकाता में यूजीसी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ-यूजीसी) ने योजना को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार तथा झारखण्ड चार राज्यों में स्थित महाविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया।

अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि को शामिल करके ईआरओ-यूजीसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या योजना को यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया गया था। 680[19] स्वीकृत मामलों में से Xवीं से XIIवीं योजनाओं तक विस्तारित 60 मामलों[20] का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था। इन 60 मामलों में से 15[21] का स्थल दौरा हेतु चयन किया गया था **(अनुबंध-VI)**।

12.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महिला होस्टलों के निर्माण की योजना VIIIवीं योजना से चालू थी। योजना का कार्यान्वयन (i) "महाविद्यालयों हेतु महिला होस्टलों के निर्माण की विशेष योजना पर दिशानिर्देश (योजना दिशानिर्देश)" तथा (ii) "बिल्डिंगों के निर्माण हेतु महाविद्यालयों को विकास सहायता की योजना के दिशानिर्देशों (निर्माण दिशानिर्देश)" के अनुसार किया जाना है। यूजीसी ने समय-समय पर निर्धारित सीमाओं[22] के तहत किस्तों में योग्य महाविद्यालयों को होस्टल के निर्माण के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की। महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों

---

[19] 638 मामले अप्रैल 2014 तक चालू थे तथा 42 मामलों को 2014-17 के दौरान स्वीकृत किया गया था।

[20] 20 चालू (अप्रैल 2014 से पहले प्रारम्भ तथा मार्च 2017 तक समाप्त न की गई), 20 2014-17 के दौरान पूर्ण तथा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान 20 नई अनुमोदित

[21] पांच चालू, 2014-17 के दौरान पांच पूर्ण तथा पांच नई अनुमोदित परियोजनाओं का लेखापरीक्षाओ द्वारा दौरा किया गया था।

[22] महिला छात्र के नामांकन के आधार पर Xवीं योजना (2002-07) हेतु ₹ 60 लाख से ₹ 2.00 करोड़ तथा XIवीं (2007-12) एवं XIIवीं (2012-17) योजनाओं हेतु ₹ 40 लाख से ₹ 1.20 करोड़।

की स्वीकृति के पश्चात सहायता को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ तीन किस्तों[23] में महाविद्यालयों को जारी की जानी थी। 2014-17 के दौरान जारी अनुदान की तुलना में परियोजनाओं की स्थिति को नीचे **तालिका सं. 3** में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3: 2014-17 के दौरान जारी अनुदान के तुलना में परियोजनाएं

वर्ष	चालू परियोजनाएं[24]	संस्वीकृत परियोजनाएं	समाप्त परियोजनाएं	शेष	जारी अनुदान (₹ करोड़ में)
2014-15	638	42	21	659	27.79
2015-16	659	0	11	648	7.95
2016-17	648	0	15	633	7.20

लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों तथा अन्य नियमों का गैर-अनुपालन पाया जिसका परिणाम दोनो परिहार्य व्यय तथा परियोजनाओं के समापन में विलम्ब में हुआ जैसा निम्न पैराग्राफों में ब्यौरा दिया गया है।

12.3.2.1 परियोजना के अनुमोदन में योजना दिशानिर्देशों से विचलन

योजना दिशानिर्देश विशिष्ट दस्तावेजों का अनुबंध करते है। जिनके साथ महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव तथा यूजीसी द्वारा मूल्यांकन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया को जोड़ा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआरओ-यूजीसी-महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा में उचित सचेतना बरतने में विफल रहा जिसका परिणाम वर्तमान दिशानिर्देशों से विचलन में ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ ₹ 56.11 लाख की अधिक वित्तीय सहायता में हुआ जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(i) योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि अनुमान को अलग सहयोगी सेवाओं[25] हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिशतता दर सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (एसओआर) के आधार पर तैयार

---

[23] प्रथम किस्त (50 प्रतिशत), दूसरी किस्त (40 प्रतिशत) तथा अंतिम किस्त (10 प्रतिशत)

[24] 1 अप्रैल तक

[25] सहायक सेवाओं में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संस्थापना (सिविल लागत का 7.5 प्रतिशत), विद्युतीकरण कार्य (सिविल लागत का 10 प्रतिशत/12.5 प्रतिशत), आकस्मिकता (सेवाओं सहित सिविल कार्य का तीन प्रतिशत), वास्तुकार का शुल्क (सेवाएं तथा आकस्मिकता सहित सिविल लागत का पांच प्रतिशत), पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी सत्यापन प्रभार (सिविल लागत का 0.50 प्रतिशत)

किया जाना है। संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार[26] मामलों में महाविद्यालयों द्वारा सहायक सेवाओं हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिशतता दर से अधिक दर लगाकर स्फीत अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। इसका परिणाम ₹ 56.11 लाख की अधिक वित्तीय सहायता की स्वीकृति में हुआ।

(ii) निर्माण दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि विद्यालय की निर्माण समिति (बीसी) के संकल्प तथा प्रमाणपत्र में बीसी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। छः[27] मामलों में, ईआरओ-यूजीसी ने ₹ 4.80 करोड़ संस्वीकृत किए जबकि संकल्प में सभी बीसी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे तथा इसलिए उनकी वैधता संदेहस्पद थी।

(iii) निर्माण दिशानिर्देश दिव्यांगों हेतु सभी बिल्डिंगों में रैम्प का प्रावधान करते हैं। 43 मामलों में, हॉस्टल में दिव्यांगों हेतु रैम्प का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(iv) निर्माण दिशानिर्देश बताते हैं कि संबंधित महाविद्यालयों की बीसी को यह सत्यापित करना चाहिए कि बिल्डिंग योजनाओं को यूजीसी के विचार हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें स्थानीय प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। छः[28] मामलों में, ईआरओ-यूजीसी ने ₹ 4.80 करोड़ की अनुदान को महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन का समर्थन करने वाले बिना किसी दस्तावेज के अनुमोदन किया। उपर्युक्त छः मामलों में से केवल एक परियोजना पूर्ण थी (फरवरी 2016) तथा शेष को अभी भी दिसंबर 2017 तक समाप्त करना था।

(v) योजना दिशानिर्देश के अनुसार, प्रस्ताव में निर्माण हेतु चिन्हित भूमि महाविद्यालय के गैर-विवादित स्वामित्व की होनी चाहिए। लेडी ब्रेबोर्न महाविद्यालय, कोलकाता ने पीडब्ल्यूडी पश्चिम बंगाल से संबंधित भूमि पर एक

---

[26] (i) बारीपाड़ा महाविद्यालय, ओड़िशा (ii) आनन्दपुर महाविद्यालय, ओड़िशा (iii) देशबन्धु कन्या महाविद्यालय, कोलकाता तथा (iv) बह्मानन्द केशव चन्द्रा महाविद्यालय, कोलकाता

[27] (i) महिषादल कन्या महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल (ii) कृषक महाविद्यालय, बिहार (iii) गोपाबन्धु चौधरी महाविद्यालय, ओड़िशा (iv) भाट्टेर महाविद्यालय, दनतन, पश्चिम बंगाल (v) महादेव सिंह महाविद्यालय, बिहार (vi) फलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय, बिहार

[28] (i) इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, ओड़िशा (ii) नयागढ़ स्वायत्त महाविद्यालय, ओड़िशा (iii) गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय, बिहार (iv) महादेव सिंह महाविद्यालय, बिहार (v) कृषक महाविद्यालय, बिहार तथा (vi) गुरूशाय दियोशरण स्मारक महाविद्यालय, बिहार

हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव किया (नवम्बर 2006)। यूजीसी की विशेषज्ञ समिति, जिसने प्रस्तावित स्थल का स्थान निरीक्षण किया, ने सिफारिश की (मार्च 2012) कि भूमि का स्वामित्व महाविद्यालय के नाम पर नहीं था तथा इसे सुधारने की आवश्यकता थी। ईआरओ-यूजीसी ने हॉस्टल के निर्माण हेतु महाविद्यालय को ₹ 1.91 करोड़ की अनुदान अनुमोदित की। तथापि, लेखापरीक्षा को कोई प्रलेखन प्रस्तुत नहीं किया जा सका था जिससे निर्धारित किया जा सके कि क्या प्रस्ताव को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उजागर उपर्युक्त प्रत्येक मामले में, ईआरओ-यूजीसी ने केवल यह बताया (जून 2017) कि उजागर मामलों पर महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा एक साथ ध्यान दिया जाएगा।

12.3.2.2 परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियों के निर्गम से इसके समापन तक परियोजना के कार्यान्वयन तथा निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर विलम्ब था जो समन्वय तथा योजना की कमी के साथ-साथ अप्रभावी मॉनिटरिंग का सूचक था जैसा नीचे उजागर किया गया है:

(i) किस्तों को जारी करने में विलम्ब: निर्माण दिशानिर्देश परियोजनाओं की अनुमोदन प्रदान करते समय पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत तथा पहली किस्त के लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र (यूटी) तथा व्यय विवरणी की प्राप्ति पर दूसरी किस्त के रूप में 40 प्रतिशत के निर्गम की अभिकल्पना करते है। लेखापरीक्षा ने 41 मामलों में किस्तों के निर्गम में विलम्ब पाया जो पांच महीनों से सात वर्षों से अधिक के पश्चात पूरा किया गया था। यह परिणामस्वरूप 16 परियोजनाओं के समापन में विलम्ब का कारण बना जिन्हें उनकी निर्धारित तिथियों के 18 महीनों से सात वर्षों से अधिक के पश्चात् पूरा किया गया था जबकि 21 परियोजनाएं दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक तक अनुसूचित तिथि से पीछे थे। ईआरओ-यूजीसी ने किस्तों को जारी करने में विलम्ब को दस्तावेजों के विलंबित प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ निधि की कमी को आरोपित किया (जून 2017)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परियोजना की संस्वीकृति ने सूचित

किया कि सभी अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करने के साथ-साथ निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया था।

(ii) निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलम्ब: निर्माण दिशानिर्देशों में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जमा कार्य के रूप कार्य को निष्पादित न किए जाने के मामले महाविद्यालयों को कार्य को सौंपने के छः महीनों के भीतर यूजीसी को निविदा के ब्यौरो से सूचित करना अपेक्षित है। पाँच[29] महाविद्यालयों ने कार्य सौंपने से 15 महीनों से 28 महीनो के व्यतीत होने के पश्चात निविदा ब्यौरो को प्रस्तुत नहीं किया था जबकि दस महाविद्यालयों ने मई 2017 तक अर्थात् एक से दस वर्षों से अधिक के बीच की अवधि के बीत जाने के पश्चात भी ब्यौरों को प्रस्तुत नहीं किया था। ईआरओ-यूजीसी ने बताया कि महाविद्यालयों को दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस भेजे जाएंगे।

(iii) कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब: निर्माण दिशानिर्देश बताते है कि अगर परियोजना को निर्धारित अवधि अथवा यूजीसी द्वारा स्वीकृति से छः महीनों, जो भी बाद में हो, के भीतर प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो मामले को यूजीसी को सूचना के अंतर्गत बीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। लेखापरीक्षा ने 18 मामले पाए जिन्हें ईआरओ-यूजीसी को कोई सूचना के बिना निर्धारित अवधि के पश्चात प्रारम्भ किया गया था। ऐसे मामलों को सूचना न देने के लिए यूजीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसका अंततः परिणाम परियोजनाओं के समापन में विलम्ब में होगा। ईआरओ-यूजीसी ने बताया (जून 2017) कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

(iv) परियोजना के समापन में विलम्ब: निर्माण दिशानिर्देशों में महाविद्यालयों को अपने प्रस्ताव में निर्माण को प्रारम्भ करने की संभावित तिथि तथा परियोजना के समापन हेतु अपेक्षित अवधि को दर्शाना आवश्यक है। तथापि, महाविद्यालयों द्वारा गैर-निर्माण/विलंबित निर्माण के मामले में यूजीसी द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा ने 22 परियोजनाएं पाई जिन्हे समापन की निर्धारित अवधि से 10 महीनों से सात वर्षों से अधिक के बीच के विलम्ब के पश्चात समाप्त किया गया था। इसके

---

[29] (i) स्कोटिश चर्च महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल (ii) आर.बी. महाविद्यालय, बिहार (iii) श्री अरविंद महिला महाविद्यालय, बिहार (iv) लाल बहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय, झारखण्ड तथा (v) एग्रा सारदा सासी भूषण महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल

अतिरिक्त, ₹ 26.16 करोड़ की अनुदान वाली 31 परियोजनाएं समापन की निर्धारित अवधि से दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक के बीच की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण रहीं (मई 2017)। ईआरओ-यूजीसी ने बताया (जून 2017) कि दिशानिर्देशों में परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं थी तथा केवल महाविद्यालयों ने परियोजना की समापन तिथि का विशेष रूप से उल्लेख किया तथा केवल बीसी ही परियोजना के समापन हेतु उत्तरदायी था। तथ्य है कि यूजीसी द्वारा अनुदान जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी कि परियोजनाएं जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी उन्हें परियोजना प्रस्तावों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरा किया गया था जिससे योजना के उद्देश्यों की सामयिक प्राप्ति का उद्देश्य विफल हुआ।

12.3.2.3 चयन आधार पर कार्य सौंपना

निर्माण दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि महाविद्यालयों को कार्य को या तो जमा कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या फिर महाविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा निष्पादित करना चाहिए। इसे जमा कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से निष्पादित न किए जाने के मामले में दिशानिर्देश ने अनुबंध किया कि महाविद्यालयों को कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के माध्यम से इच्छुक दलों से मद-दर आधार पर निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। निविदा प्रक्रिया के संबंध में सूचना को कार्य सौंपने से छः महीनों के भीतर यूजीसी को प्रेषित किया जाना था।

संत जेवियर कॉलेज, कोलकाता ने ₹ 4.59 करोड़ की अनुमानित लागत पर महिला हॉस्टल के निर्माण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवम्बर 2006)। फरवरी 2007 में, यूजीसी ने परियोजना हेतु ₹ दो करोड़ संस्वीकृत किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि महाविद्यालय ने एक निजी अभिकरण को बिना निविदा प्रक्रिया के ₹ 2.91 करोड़ का कार्य सौंपा (सितम्बर 2010)। कार्य को मार्च 2014 में समाप्त किया गया था। महाविद्यालय ने बताया कि अभिकरण का चयन महाविद्यालय के साथ उनके लम्बे संबंध, पहले के निष्पादन तथा विश्वसनीयता के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयन आधार पर कार्य प्रदान करना न केवल निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में था बल्कि वित्तीय औचित्य तथा निर्माण कार्यों की निविदाओं को सौंपने के मापदण्डों के मौलिक सिद्धान्तों के भी उल्लंघन में था जैसा दोनो सामान्य वित्तीय नियमावली तथा सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका में भी निर्धारित है जहां कुछ विशेष परिस्थितियों के सिवाय ऐसी प्रवृत्ति के निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया एक अनिवार्य आवश्यकता है। तथापि, यूजीसी ने महाविद्यालयों द्वारा अपनी वित्तीय सहायता के उपयोग की ऐसी मूल आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। ईआरओ-यूजीसी ने केवल बताया (जून 2017) कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

12.3.2.4 निर्माण कार्यों में अधिक व्यय

लेखापरीक्षा ने निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु महाविद्यालयों द्वारा ठेकेदारों को कुल ₹ 13.90 लाख का अधिक भुगतान पाया जैसा नीचे दिया गया है:

ए) केएसटी महाविद्यालय, बिहार ने निवेदित दर से अधिक ₹ 319.05 प्रति क्यूबिक मीटर पर ईंट कार्य हेतु भुगतान किया जिसका परिणाम ठेकेदार को ₹ 1.46 लाख[30] के अधिक भुगतान में हुआ। महाविद्यालय ने बताया कि वह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की जांच करेगा तथा वसूली की जाएगी;

बी) गुरुशाय दियोशरण स्मारक महाविद्यालय, बिहार ने 1000 ईंटों की निवेदित इकाई के स्थान पर ₹ 241.50 तथा ₹ 544.30 प्रति 100 ईंट की दर पर ईंटो पर क्रमशः आपूर्ति तथा भाड़ा प्रभार अदा किया। इसका परिणाम ठेकेदार को ₹ 10.50 लाख[31] के अधिक भुगतान में हुआ; तथा

सी) दियोगढ़ महाविद्यालय, झारखण्ड ने ₹ 317.75 तथा ₹ 248.94 की अनुबंध दर से ₹ 665.62 तथा ₹ 393.73 की उच्च दरों पर भुगतान के कारण क्रमशः ईंटो तथा रेत के भाड़ा प्रभारों के कारण ₹ 1.94 लाख[32] का अधिक भुगतान हुआ।

---

[30] 456.94 क्यूबिक मीटर (निष्पादित प्रमात्रा) X ₹ 319.05 (वास्तविक भुगतान दर ₹ 4032.30 - निवेदित दर ₹ 3713.25)

[31] आपूर्ति पर अतिरिक्त लागत - ₹ 3.23 लाख, भाड़ा प्रभार- ₹ 7.27 लाख

[32] ईटों पर - ₹ 1.25 लाख: 358082 ईंट X ₹ 347.87 प्रति हजार (₹ 665.62-₹ 317.75)। रेत पर-₹ 0.69 लाख: क्यूबिक मीटर रेत X ₹ 144.79 प्रति क्यूबिक मीटर (₹ 393.73-₹ 248.94)

ईआरओ-यूजीसी ने बताया (जून 2017) कि मामले को महाविद्यालयों के साथ उठाया जाएगा तथा राशि का अगली किस्त से समायोजन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे अधिक निर्गम आंतरिक नियंत्रणों तथा जांचो की कमी तथा शेष जिनसे ठेकेदार को अधिक भुगतान का जोखिम था, के बिना पता चले रहने के सूचक थे।

12.3.2.5 वित्तीय सहायता से सृजित अवसंरचना का व्यर्थ होना

भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित 15 महाविद्यालयों में से सात[33] महाविद्यालयों में हॉस्टलों को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सात हॉस्टलों में से ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर निर्मित दो हॉस्टलों का समापन की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात भी उपयोग नहीं किया जा रहा था (मई 2017)। जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

ए) बंकी महाविद्यालय, ओडिशा ने दिसंबर 2013 में ₹ 1.08 करोड़ लागत पर 96 बिस्तर वाला महिला हॉस्टल को पूर्ण किया। परन्तु हॉस्टल को तीन वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी आंतरिक जल आपूर्ति, मुख्य प्रवेश पर रैम्प, बिल्डिंग के कुछ भाग में रंगरोगन तथा फर्नीचर की आवश्यकता के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था। यूजीसी ने महाविद्यालय द्वारा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर पूरी निधियां जारी की थी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा स्थल दौरे के दौरान यह देखा गया था कि कार्य की उपर्युक्त मदों का अभी भी पूर्ण किया जाना था।

बी) तार्केश्वर डिग्री महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल में महिला हॉस्टल का मार्च 2014 में ₹ 1.22 करोड़ की लागत पर निर्माण किया गया था। महाविद्यालय ने बताया (मई 2017) कि उच्चतर शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को अभी भी हॉस्टल स्टाफ, रसोईया तथा सुरक्षा गार्डों को संस्वीकृत करना था। इसलिए, हॉस्टल का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था।

[33] इसमें दो परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें 2014-17 के दौरान अनुमोदन के साथ-साथ समाप्त किया गया था

12.3.3 निष्कर्ष

इस प्रकार, ईआरओ-यूजीसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन द्वारा अंकित किया गया था जिसका परिणाम निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता के निर्गम के साथ-साथ ₹ 56.11 लाख के अधिक निर्गम में हुआ। विलम्ब, लगभग 10 वर्षों के बीच के विलम्बों के साथ परियोजना स्वीकृति तथा निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थानिक था। 22 परियोजनाओं के समापन विलंबित थे जबकि 31 परियोजनाओं को समापन की निर्धारित तिथि से नौ वर्षों से अधिक के बीच के विलम्बों के पश्चात भी अभी भी पूर्ण किया जाना था। ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर तैयार दो हॉस्टल तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रहे।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (जुलाई 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता

12.4 जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने वर्तमान आदेशों के उल्लंघन में जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज की उच्चतर दर अदा की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी स्वायत्त संगठनों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) अंशदाताओं को सरकार द्वारा अधिसूचित से उच्चतर दर पर ब्याज अदा न करने का अनुदेश दिया (फरवरी 2014)। तथापि, अधिसूचित दर से ब्याज की कम दर अदा की जा सकती थी जो संगठन की वित्तीय स्थिति पर निर्भर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी तथा अहमदाबाद (आईआईएम-ए) एवं कोलकाता (आईआईएम-सी) में भारतीय प्रबंधन

संस्थान ने जीपीएफ/सीपीएफ संचयों पर केन्द्र द्वारा निर्धारित अधिसूचित दरों से उच्चतर दरों पर ब्याज अदा किया। इसका परिणाम वर्ष 2010-11 से 2016-17 हेतु ₹ 6.28 करोड़ के ब्याज के अधिक भुगतान में हुआ जैसा नीचे **तालिका सं. 4** में दिया गया है:

तालिका सं. 4: ब्याज का अधिक भुगतान

संस्थान का नाम	वर्ष के लिए	दर जिस पर संस्थान द्वारा अदा किया गया (%)	केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर (%)	क्रेडिट किया गया अधिक ब्याज (र करोड़ में)
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	2012-13	9.30	8.80	1.17
	2015-16	9.20	8.70	1.75
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2010-11	12.00	8.00	0.93
	2011-12	12.00 (नवम्बर 11 तक) 12.60 (दिसम्बर 11 - मार्च 12)	8.00 (नवम्बर 11 तक) 8.60 (दिसम्बर 11 - मार्च 12)	1.11
	2012-13	10.80	8.80	0.65
	2013-14	9.45	8.70	0.27
	2014-15	9.10	8.70	0.17
	2015-16	8.82	8.70	0.05
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2016-17	8.70	8.10 (सितम्बर 16 तक) 8.00 (अक्तूबर 16 - मार्च 17)	0.18
कुल अधिक भुगतान				**6.28**

आईआईएम-ए ने बताया (जून 2017) कि 2004 में जारी एमएचआरडी के अनुदेश संस्थान पर लागू नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि यह अनुदेश उन स्वायत्त निकायों पर लागू थे जो किए गए जीपीएफ/सीपीएफ संचयो के निवेश पर अर्जित आय तथा सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज की दर पर जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज प्रदान करने हेतु अपेक्षित राशि के बीच कमी को पूरा करने की दृष्टि से अपने बजट के संवर्धन हेतु अपनी संबंधित वित्त समितियों की स्वीकृतियों की मांग करते हैं। वर्तमान मामले में, ट्रस्ट्री ने यह ध्यान रखने के पश्चात कि ब्याज दर में कमी को पूरा करने हेतु पर्याप्त

कुशन सृजित किया गया है, ट्रस्ट की कमाई के अनुसार कर्मचारियों को अतिरिक्त ब्याज की घोषणा की थी। बीएचयू ने उत्तर दिया (मई 2017) कि महामना पं. मदन मोहन मालवीया जी के 150वीं जन्म सालगिरह तथा बीएचयू के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक विशेष मामले के रूप में जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को वर्ष 2012-13 तथा 2015-16 के लिए क्रमशः 9.3 तथा 9.2 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर अदा की थी। आईआईएम-सी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि ब्याज का अधिक भुगतान गलत ब्याज दर लागू करने के कारण था तथा अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन किया जाएगा।

आईआईएम-ए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्थान जिनकी भविष्य निधि नियमावली को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 8(2) के तहत अधिसूचित किया गया है उनको अपने कर्मचारियों हेतु भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भविष्य निधि पर ब्याज की दर का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना है। चूंकि आईआईएम-ए की सीपीएफ नियमावली को अक्तूबर 1964, में जीओआई द्वारा अधिसूचित किया गया था इसलिए वह जीओआई द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों से बाध्य है तथा एमएचआरडी के अनुदेश लागू हैं। इसके अतिरिक्त, एमएचआरडी के अनुदेश किसी छूट का प्रावधान नहीं करते है। इसलिए, आईआईएम-ए तथा बीएचयू के उत्तर 2004 के मंत्रालय के अनुदेशों के अनुरूप्य नहीं थे जो सभी स्वायत्त संगठनों पर ब्याज की उच्चतर दरों के भुगतान पर प्रतिबंध लगाते है।

इस प्रकार, एमएचआरडी के अनुदेशों का अनुपालन करने में इन संस्थानों की विफलता के परिणामस्वरूप इन संस्थानों के जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ₹ 6.28 करोड़ के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

मामला दिसंबर 2016/जून 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उसका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

12.5 निधियों का उपयोग न होना तथा अनियमित भुगतान

विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृत ₹ 3.30 करोड़ के अनुदान विश्वविद्यालय के पास अप्रयुक्त पड़े थे जिससे वह उद्देश्य जिसके लिए ये संस्वीकृत हुए थे, पूर्ण नहीं हुआ। ₹ 35.39 लाख के जनजातीय क्षेत्र के भत्तों का अनियमित भुगतान हुआ था तथा ₹ 22.09 लाख राशि के सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

12.5.1 प्रस्तावना

इन्द्रिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अमरकंटक मध्य प्रदेश, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत भारत की जनजातीय जनता के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने तथा प्राथमिक रूप से विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय के 12 संकाय तथा 30 विभाग है जो स्नातकाधीन, पोस्ट ग्रेजुएट तथा पीएचडी कार्यक्रमों को सम्मान देते हैं। इसका एक क्षेत्रीय केन्द्र मणिपुर में है। विश्वविद्यालय के पास 31 मार्च 2017 को ₹ 590.46 करोड़ की कॉर्पस/पूँजीगत निधि, ₹ 496.39 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियां तथा ₹ 60.33 करोड़ राशि के निवेश व रोकड़ व बैंक शेष थे। विश्वविद्यालय द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए निधियों के उपयोग की स्थिति **तालिका सं. 5** में दर्शाया गया हैः

तालिका सं. 5: निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	योजना अनुदान	अन्य अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	जोड उपलब्ध निधि	उपयोग	अंत शेष
2012-13	2.99	100.00	--	2.72	105.71	111.71	(-) 6.00
2013-14	(-) 6.00	100.00	--	2.97	96.97	98.27	(-) 1.30
2014-15	(-) 1.30	185.16	2.70	5.31	191.87	189.50	2.37
2015-16	2.37	97.67	2.43	5.83	108.30	90.34	17.96
2016-17	17.96	116.18	0.32	5.38	139.84	103.53	36.31

स्रोत - पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह लेखापरीक्षा 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान संबंधित वित्तीय नियमावली तथा वित्तीय औचित्यता के संदर्भ में निधियों के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

12.5.2 अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निधियों का कम उपयोग होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा विभिन्न मंत्रालय/विभाग विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों पर अनुदान संस्वीकृत करते है जिसमे अन्य के साथ साथ यह शामिल है कि (i) संस्वीकृत राशि उस वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया जाता है, के दौरान भुगतान हेतु वैध है, (ii) अनुदानग्राही संस्थान अनुदान के उपयोग जिसके लिए वह संस्वीकृत किया जा रहा है, को सुनिश्चित करेगा तथा (iii) गैर उपयोग/आंशिक उपयोग के मामले में, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार आहरण करने की तिथि से वापसी की तिथि तक अप्रयुक्त राशि पर समय समय पर यथासंशोधित या 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त ₹ 3.93 करोड़ के अनुदानों में से 84 प्रतिशत अर्थात् ₹ 3.30 करोड़ का उपयोग करने में विफल रहा जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैः-

ए. मई 2013 में, विश्वविद्यालय ने विलुप्त जनजातीय समूहों की संकटापन्न भाषाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु तथा केन्द्रीय भारत में एकमात्र संकटापन्न भाषाओं के प्रोत्साहन तथा प्रलेखन, संरक्षण में दीर्घकालिक अनुसंधान हेतु उनकी उपभाषाओं के लिए एक पूर्ण रूपेण केन्द्र की स्थापना करना प्रस्तावित किया। यूजीसी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल 2014) तथा उसने 2015-16 के वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु अगस्त 2015 में ₹ 2.65 करोड़ संस्वीकृत किए। तथापि, विश्वविद्यालय स्थापना व्यय तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद हेतु ₹ 2.31 करोड़ (87 प्रतिशत) का अव्ययित शेष छोड़ते हुए 2015-16 के दौरान केवल ₹ 6.15 लाख तथा 2016-17 के दौरान ₹ 27.47 लाख का ही उपयोग कर सका। मई 2017 में विश्वविद्यालय ने केन्द्र की प्रगति यूजीसी को सूचित की तथा प्रथम किस्त में

दी गई निधियों का उपयोग किए बिना ₹ 2.65 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया।

बी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जीविका व्यापार उद्गवन केन्द्रो तथा प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्रो तथा त्वरित वर्कशॉपों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों तथा त्वरित वर्कशॉपों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों के सृजन, क्षमता, निर्माण तथा सहायता जैसे संघटको से नवीकरण उद्यमिता तथा कृषि-उद्योग हेतु एक योजना प्रारंभ की (मार्च 2015)। विश्वविद्यालय को बहुव्यापार के रूप में प्रशिक्षण के केन्द्र क्षेत्र सहित नोडल एजेंसी बनाया गया (सितम्बर 2016) तथा ₹ 49.43 लाख की राशि जारी की गई थी। तथापि, 31 मार्च 2017 तक समस्त अनुदान अप्रयुक्त रहा।

सी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो परियोजनाओं नामतः (i) भूमि उपयोग गति की शीलता तथा इसका सूक्ष्म तत्वों, ढांचे और संरचना पर प्रभाव तथा अचन कुमार की विविधत- सैटेलाइट रिमोट सैंसिग और जीआईएस तकनीकी का उपयोग करके अमरकंटक बॉयोस्केयर तथा (ii) नर्मदा नदी पर पारिस्थितिक रूप से प्रासंगिक विषाक्त पदार्थों से संभावित जोखिम की पहचान और जलीय मैक्रो अवास्तविक जीवाश्म का उपयोग करके स्वास्थ्य का मूल्यांकन के प्रति ₹ 43.16 लाख (जनवरी 2016 में ₹ 12.59 लाख तथा अक्तूबर 2016 में ₹ 30.57 लाख) जारी किए। फरवरी 2017 में, यद्यपि विश्वविद्यालय जनवरी 2016 में प्राप्त अनुदान का उपयोग करने में विफल था, तथापि परियोजना प्रभारी को 2016-17 के दौरान संस्वीकृति का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, 31 मार्च 2017 को विश्वविद्यालय के पास ₹ 5.67 लाख (45 प्रतिशत) का अव्ययित छोड़ते हुए केवल ₹ 6.92 लाख का उपयोग किया जा सका। वैसे ही, अक्तूबर 2016 में प्राप्त ₹ 30.57 लाख के अनुदान के प्रति 31 मार्च 2017 को ₹ 29.58 लाख (97 प्रतिशत) का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल ₹ 0.99 लाख की राशि का उपयोग किया जा सका।

डी. यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर स्तर पर युवा संकाय के बीच मूल विज्ञान अनुसंधान (बीएसआर) को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप रिसर्च ग्राट नाम की एक योजना आरंभ की (2011)। दिए गए अनुदानों का लघु उपकरण उपभोज्य सामग्री आकस्मिकताओं क्षेत्रीय कार्यों तथा यात्रा जैसी मदों के लिए उपयोग

किया जा सकता था। यूजीसी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पाच वर्षों की अवधि के दौरान छः सहायक प्रोफेसरों को स्टार्ट अप रिसर्च ग्रांट के रूप में ₹ 35.40 लाख जारी किए थे जिसमें से केवल ₹ 20.76 लाख का ही उपयोग किया जा सका था और ₹ 14.64 लाख (41 प्रतिशत) संस्थान के पास पड़े है जिसका न तो निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग किया गया और न ही संस्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार यूजीसी को वापस किए गए थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उसको व्यय करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है तथा उसमें कम उपयोग जो अपरिहार्य है, के कुछ मामले हो सकते है क्योंकि दिशानिर्देशों का अनुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने आगे बताया कि परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा संबंधित निधियन एजेंसी से जब कमी आवश्यक हो तो परियोजना का समय-विस्तारण प्राप्त किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदानग्राही संस्थान होने के नाते विश्वविद्यालय ने निर्धारित अवधि के भीतर अनुदान के गैर-उपयोग को न्यायोचित ठहराते हुए तथा समय के विस्तारण हेतु अनुरोध के लिए यूजीसी को नहीं लिखा है। अभीष्ट उद्देश्यों के लिए यह सुनिश्चित करना कि जिन उद्देश्यों के लिए यह संस्वीकृत किए गए है वह पूर्ण किए गए है, अनुदानों के उपयोग का निरीक्षण करना विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त, अप्रयुक्त अनुदानों की वापसी न करने पर अनुदान के अप्रयुक्त भाग जिसकी यूजीसी द्वारा मांग की गई थी, पर 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज का जुर्माना लगता है वह एक परिहार्य व्यय है।

12.5.3 सिविल तथा विद्युत कार्यों का अनियमित रूप से प्रदान करना

जीएफआर 2005 के नियम 160 (एक्स) के अनुसार प्राप्त की गई बोलियों का बोली दस्तावेजों में पहले से समाविष्ट शर्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। किसी नई शर्त जो पहले से बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं थी, को बोली के मूल्यांकन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय अहाते में सब स्टेशन ओवरहैड ट्रांसमीशन लाइन तथा भूमि केबलिंग सहित एचटी इलैक्टिकल सिस्टम हेतु सिविल तथा विद्युत कार्यों के लिए सूचना आमंत्रण निविदा जारी की (मार्च 2011) मानदण्ड की पात्रता इस प्रकार निर्धारित की गई थी (i) ठेकेदार द्वारा पिछले तीन

वित्तीय वर्षों में इसी प्रकृति के कार्यों का सफलता पूर्वक निष्पादन किया होना चाहिए, (ii) ठेकेदार या फर्म पंजीकृत होनी चाहिए या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार लोक क्षेत्र उपक्रम या किसी प्राइवेट प्रतिष्ठित कम्पनी के विभाग में पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक निर्माण कार्य का निष्पादन अवश्य किया हुआ होना चाहिए तथा (iii) ठेकेदार या फर्म के पास सभी आवश्यक पंजीकरण जैसे आयकर बिक्री कर, श्रम विभाग सेवा कर आदि होने चाहिए।

विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने तकनीकी बोलियो को खोलने तथा मूल्यांकन करने तथा प्राप्त निविदाओं का एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया था (मई 2011)। तकनीकी समिति ने तकनीकी बोलियों को खोला तथा एक निविदा को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि प्रस्तुत सावधि जमा प्राप्ति पर ईएमडी के रूप में बैंक प्राधिकारी के प्रति हस्ताक्षर नहीं थे तथा वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए प्राप्त अन्य पांच निविदाओं की सिफारिश की तदन्तर, तकनीकी समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय रजिस्ट्रार ने प्रस्तावित किया कि ₹ 25 लाख के कम के कार्य का अनुभव रखने वाले इसी प्रकार की फर्मों का तकनीकी योग्यता प्राप्त होने के नाते चयन नहीं किया जा सकता। उपकुलपति ने रजिस्ट्रार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा दो फर्मों को अयोग्य कर दिया था तथा उसके पश्चात् निर्माणकार्य शेष रहे तीन बोलीकर्ताओं से एल-। को ₹ 1.68 करोड़ पर दे दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने के समय कम से कम ₹ 25 लाख के कार्य का अनुभव वाली फर्मों की एक नयी शर्त को लागू करना तथा दो फर्मों, जो अन्यथा तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त थी, को अयोग्य घोषित करना जीएफआर के नियम 160 का उल्लंघन करना है।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि फर्मों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों के अनुसार उन्हे 11 केवीए तथा एलटी निर्माण कार्यों का अनुभव था जबकि निविदा के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता 33 केवीए तथा एचटी निर्माण कार्यों की भी तथा इस प्रकार, निविदा समिति द्वारा दोनो फर्मों को तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में, एचटी निर्माण कार्यों का अनुभव दर्शाया गया था तथा दोनो फर्मों को

वित्तीय बोलियां खोलने के लिए तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक अयोग्य फर्म को 2010-11 के दौरान ₹ 1.37 करोड़ के टर्नओवर सहित लोक निर्माण विभाग रेवा, मध्य प्रदेश के पास 33 केवी एचटी लाइन सब स्टेशन भूमि केबलिंग आदि निर्माण कार्य का निष्पादन करने का अनुभव था तथा 2007-08 के दौरान ₹ 39.95 लाख का इसी तरह का कार्य किया था। दूसरी फर्म जो अयोग्य हुई थी, भारत संचार निगम लिमिटेड में कार्य करने का अमुभव था तथा 2008-10 के दौरान ₹ 3.95 करोड़ राशि तथा 2009-11 के दौरान ₹ 1.30 करोड़ राशि के आपूर्ति प्रतिष्ठापन, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की जांच तथा चालू करने तथा एलटी आपूर्ति देने के लिए एचटी/एलटीलाइन के विस्तारण से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण किए।

12.5.4 जनजातीय क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान

विशेष प्रतिपूरक (पर्वतीय क्षेत्र) भत्ते[34] तथा अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र भत्ते[35] के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उन क्षेत्रों में जहाँ एक से अधिक विशेष प्रतिपूरक भत्ता ग्राहय है, वहां ऐसे स्टेशनों पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास उनके लिए जो सबसे अधिक लाभकारी हो उसमें विकल्प को चुनने का अधिकार होगा।

मध्य प्रदेश के अनुप्पुर जिले, जहाँ विश्वविद्यालय स्थित है, को जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है तथा समुद्री स्तर से 1,048 मीटर ऊँचाई पर है, वहाँ पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 2012-2017 की अवधि के दौरान ₹ 35.39 लाख राशि का जनजातीय क्षेत्र भत्ते तथा ₹ 56.39 लाख राशि के पर्वतीय क्षेत्र भत्ते का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, दोनों भत्तों के बीच भुगतान की गई न्यूनतम राशि होने के नाते ₹ 35.39 लाख का भुगतान वर्तमान आदेशों का उल्लंघन था।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि सरकार के दिनांक 29 अगस्त 2008 के आदेश में जनजातीय क्षेत्र भत्ते को विशेष प्रतिपूरक भत्ते के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है तथा इस प्रकार यह भी ग्राहय है।

---

[34] कार्यालय ज्ञापन सं. 4(2)2008-ई-II(बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

[35] कार्यालय ज्ञापन सं. 17(1)2008-ई-II(बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुदेशों में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध है कि एक स्टेशन में तैनात कर्मचारियों को केवल एक विशेष प्रतिपूरक भत्ता ग्राहय है।

12.5.5 सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति

मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थान के उपयोग हेतु बनाई गई किसी संरचना के निर्माण उत्थापन, चालू करना, प्रतिष्ठापन, पूर्ण करना, फिटिंग करना, मरम्मत अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन करने के द्वारा सरकार स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाएं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की अधिसूचना सं. 25/2012 दिनांक 20 जून 2012 के खंड 12 (सी) के अनुसार सेवा कर के अद्ग्रहण से छूट प्राप्त है। यह छूट एमओएफ की दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल 2015 से वापस ले ली गई थी लेकिन बाद में एमओएफ की 1 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा इस चेतावनी के साथ पुनः आरंभ की गई थी कि 1 अप्रैल 2016 से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवाओं के अनुबंध में मार्च 2015 से पूर्व सेवाएं प्रविष्ट की जानी चाहिए।

अमरकंटक में विश्वविद्यालय परिसर के लिए भवनों तथा सम्बद्ध ढांचों के निर्माण हेतु कार्य निष्पादन के संबंध में विश्वविद्यालय ने 2016-17 के दौरान ठेकेदारों को सेवा कर के प्रति ₹ 91.59 लाख की प्रतिपूर्ति की लेखापरीक्षा ने पाया कि शिक्षा भवन, अध्यापक निवासों तथा आंतरिक सड़कों तथा सम्बद्ध संरचनाओं के निर्माण से संबंधित तीन निर्माण कार्य 1 मार्च 2015 से पूर्व सौंपे गए थे तथा ठेकेदार को 2016-17 के दौरान उन बिलों के संबंध में जो सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थे, ₹ 22.09 लाख के सेवा कर संघटक की प्रतिपूर्ति की गई थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि सेवा कर प्राधिकारियों के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं है। विश्वविद्यालय ने बताया कि वह सेवा कर विभाग के साथ अपील के माध्यम से मामला चल रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था तथा इसलिए एमओएफ की अधिसूचनाओं में उद्धृत शर्तों के अनुसार दी गई सेवाओं की छूट प्राप्त करने को

पात्र था। इस प्रकार सेवा कर संघटक की प्रतिपूर्ति से बचने के लिए बिलों को पारित करने की स्थिति तक उचित परिश्रम किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सितम्बर 2017 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि

12.6 स्कूल छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय

केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि, एमपी के लिए छात्रावास भवन, रसोई एवं भोजन के स्थान के केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना निर्माण के कारण निर्माण कार्य पर ₹ 1.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, क्योंकि मई 2012 में निर्मित होने के बाद से ही भवन अप्रयुक्त पड़ा रहा।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 26 में प्रावधान है कि नियंत्रक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके विभाग में जनता के धन के अपव्यय एवं हानि से सुरक्षित रखने के लिए एक पर्याप्त नियंत्रक तंत्र है और ऐसे तंत्रो एवं नियंत्रणों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। आगे सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में कहा गया कि आवश्यकताओं और व्यावहारिकता अध्ययन के समुचित आकलन के बाद ही कार्य किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा और निधियों का लाभप्रद रूप से उपयोग किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली (केवीएस) को 6 जून 2007 को केवीएस के अध्यक्ष से आदिवासी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि (एमपी) में एक छात्रावास भवन के निर्माण हेतु एक संदेश प्राप्त हुआ था। मामले को 13 जून 2007 को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसने प्रस्ताव की संस्वीकृति दी थी। छात्रावास भवन के निर्माण को बाद में शासक मंडल द्वारा इसके 77वीं बैठक में 20 जून 2007 को अनुमोदित किया गया था।

तदुपरांत, केवीएस ने लड़कों और लड़कियों के लिए रसोई और भोजन के स्थान के जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधा, जल निकासी के साथ छात्रावास भवन (प्रत्येक

30 छात्रों के लिए) के निर्माण के लिए ₹ 1.74 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान किया था (जनवरी 2008) और केन्द्रीय विद्यालय (केवी), सिद्धि एमपी केवीएस ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से निर्माण कार्य का संपादन किया और केवीएस द्वारा ₹ 1.70 करोड़ फरवरी 2008 से अगस्त 2011 के दौरान तीन किस्तों[36] में केवी, सिद्धि को जारी किया गया था। निर्माण कार्य की शुरुआत मार्च 2009 में हुई थी और उसे मार्च 2010 में पूरा कर लेना था। तथापि, निर्माण कार्य को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दो वर्षों के विलंब के बाद मार्च 2012 में पूरा किया गया था, और मई 2012 में केवी सिद्धि को सौंप दिया गया था। यद्यपि निर्माण-कार्य को पूरा कर लिया गया था, सीपीडब्ल्यूडी को लेखे का अंतिम समायोजन एवं पूर्णता रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र अभी प्रस्तुत करना था जबकि पूर्णता की तिथि एवं केवीएस को निर्माण-कार्य सौंपे जाने के बाद पाँच वर्ष से अधिक समय बीत चुका था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योगाभ्यास के सत्रों के लिए कभी कभार जगह के उपयोग के अलावा, रसोई एवं भोजनालय सहित दोनो छात्रावास मई 2012 में केवी सिद्धि को दिये जाने के बाद से ही अप्रयुक्त पड़े थे। किसी व्यवहार्यता अध्ययन अथवा आवश्यकता के मूल्यांकन कराये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं कराया जा सका था।

केवीएस एवं केवी, सिद्धि ने क्रमश: अक्तूबर 2017 एवं जून 2017 को सूचित किया कि (i) सीपीडब्ल्यूडी ने बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद समापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, (ii) बार-बार निर्देश देने के बाद भी, कोई भी छात्र छात्रावास में रहने के लिए तैयार नहीं था, और (iii) छात्रावास को विद्यालय प्रबंधन समिति की अनुमति से कभी कभार योगाभ्यास सत्रों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। तथापि, छात्रावास भवन में फिलहाल कोई योगाभ्यास का सत्र नहीं चल रहा था क्योंकि यह योगाभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं था।

अत:, इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन अथवा व्यवहार्यता अध्ययन कराये बिना छात्रावास भवन के निर्माण का केवीएस का निर्णय अविवेकपूर्ण था और इसके कारण ₹ 1.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। आगे सीपीडब्ल्यूडी के समापन लेखे को विगत पाँच वर्षों से समायोजित नहीं किया गया था। मंत्रालय/प्रबंधन को

[36] फरवरी 2008 में ₹ 60 लाख, अप्रैल 2010 में ₹ 50 लाख एवं अगस्त 2011 में ₹ 60 लाख।

विद्यालय छात्रावास और संबंधित सुविधाएं निर्माण, अन्य मंत्रालयों/सरकारी विभागों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों सहित में लाभकारी वैकल्पिक उपयोग का पता लगाना चाहिए।

मामले को मंत्रालय के पास जून 2017 में भेजा गया था; इनके उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित थे।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

12.7 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की संबद्धता

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धता उप-नियमों का सबंद्धताओ की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनुपालन नहीं किया गया था। सबंद्धताए प्रदान करने में विलम्ब तथा निरीक्षण समितियों के गठन तथा निरीक्षण करने में कमियों ने उनके मुख्य उद्देश्य को नष्ट किया। विद्यालयों को निरीक्षण किए बिना सबंद्धता प्रदान की गई थी तथा सबंद्धता का अनुचित प्रदान किए जाने तथा आवेदनों के अनुचित संसाधन के उदाहरण थे।

12.7.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) एक स्वयं वित्तपोषित स्वायत्त सगंठन, को भारत सरकार के संकल्प (सकंल्प) के द्वारा जुलाई 1929 में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विनियमन बोर्ड (विनियमन) बोर्ड की कार्यालयी सीमाओं, बैठक करने तथा सबंद्धता हेतु तथा जांच करने हेतु नियमों को निर्धारित करता है। बोर्ड सचिव (विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी है।

विनियमन की धारा 9 के अनुसार, बोर्ड शैक्षणिक संस्थानों को उनकी जांचो के उद्देश्य हेतु सबंद्ध करने को अधिकृत है। संबद्धता हेतु आवेदनों पर (i) माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम की स्वीकृति; (ii) माध्यमिक विद्यालय की प्रावधानिक संबद्धता; (iii) उच्च माध्यमिक स्तर हेतु एक विद्यालय के उन्नयन/प्रावधानिक संबद्धता (iv) अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन; (v) सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विद्यालय सगंठन (केवीएस)/नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)/ केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों

को नियमित संबद्धता; तथा (vi) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रबंधित विद्यालयों तथा वह जिन्हें पहले प्रावधानिक संबद्धता प्रदान की गई है, को स्थायी संबद्धता हेतु विचार किया जाता है।

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रारम्भ में तीन से पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रावधानिक संबद्धता प्रदान की जाती हैं तथा इसके पश्चात जनवरी 1988 में बोर्ड द्वारा तैयार की गई संबद्धता उपनियमों के मापदण्डों एवं निर्धारित शर्तों की पूर्ति के तहत स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है।

सबंद्धता उप-नियमों की धारा 15 के अनुसार, संबद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड की संबद्धता इकाई दस्तावेजों की जांच करती है तथा यदि आवेदक विद्यालय अनिवार्य मापदण्डों को पूरा करता है तो सचिव अध्यक्ष को सूचित करता है जो संस्थान के निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण समिति का गठन करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर सचिव यह निर्णय लेने हेतु कि क्या विद्यालय को संबद्धता प्रदान की जानी चाहिए, संबद्धता समिति की एक बैठक आयोजित करता है। संबद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में निर्णय को संबद्धता समिति की स्वीकृति के पश्चात तुरंत विद्यालय को सूचित किया जाता है। आकस्मिक[37] के मामले में इस अधिकार का उपयोग अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।

31 मार्च 2017 को, 211 विदेशी विद्यालयों सहित 18,694 विद्यालयों को बोर्ड के साथ संबद्ध किया गया था जैसा **तालिका सं. 6** में दिया गया है:

तालिका सं. 6: बोर्ड के साथ सम्बद्ध विद्यालय

केन्द्रीय विद्यालय सगंठन	सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय	निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय	नवोदय विद्यालय समिति	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन	कुल
1,117	2,720	14,253	590	14	**18,694**

लेखापरीक्षा 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों की अवधि को शामिल करके निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय की संबद्धता की प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु की गई थी। 14,253 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में से 2014-17 की

[37] आकस्मिक का तात्पर्य नियमित से अतिरिक्त किसी भी संबद्धता मामले से है जिसमें लोक हित में तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है।

अवधि हेतु प्राप्त संबद्धता आवेदनों के 203 मामलों का यादृच्छिक नमूना चयन आधार का उपयोग करके चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

12.7.2 विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबद्धता उप-नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में 2014-17 के दौरान प्राप्त सभी 11,060 मामलों में संबद्धता इकाई के अध्यक्ष/उप-सचिव द्वारा इन्हे संबद्धता समिति के माध्यम से किए जाने के बिना संबद्धता प्रदान की गई थीं। इन सभी 11,060 मामलों में, विद्यालयों को संबद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में सूचित किया गया था तथा बाद में निर्णय की संबद्धता समिति द्वारा पुष्टि की गई थी। गैर-आकस्मिक प्रसंग के मामलों में भी वर्तमान नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु संबद्धता समिति द्वारा किए जाने वाली प्रत्याशित संवीक्षा न करके संबद्धता प्रदान करना अनुचित था तथा यह संबद्धता उप-नियमों के उद्देश्यों को दुर्बल बनाता है।

12.7.3 संबद्धता प्रदान करने में विलम्ब

संबद्धता उप-नियमों की धारा 15 (1) (ए) प्रावधान करती है कि संबद्धता के मापदण्डों का पूरा करने वाले विद्यालयों, वर्ष जिसमें कक्षा vI/Ix/xI, जैसा भी मामला हो, को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है के पूर्ववर्ती वर्ष के 30 जून से पहले निर्धारित शुल्क सहित निर्धारित प्रपत्र पर माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम/माध्यमिक हेतु प्रावधानिक संबद्धता/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के उन्नयन हेतु बोर्ड को ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त, सभी आवेदन जो बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून को अथवा पहले प्राप्त किए गए हैं, को छः महीनों की अवधि के भीतर एक साथ संसाधित करेगा। संबद्धता प्रदान करने अथवा अस्वीकृति के आदेश को उस वर्ष की 31 दिसंबर को अथवा पहले आवेदक को सूचित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि बोर्ड द्वारा 203 मामलों में से 140 में विद्यालयों को सबंद्धता प्रदान की गई थी। तथापि 140 मामलो में से केवल 19 (14प्रतिशत) को छः माह के भीतर सबंद्धता प्रदान की गई थी। शेष 121 मामलों में, बोर्ड ने स्कूलों के लिए अनुदान देने में सात महीने से तीन साल तक का समय लिया। विलम्ब मुख्यत: (i) आवेदनों के विलम्बित संसाधान तथा कमियों

की देरी से सूचना; (ii) सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण निरीक्षण करने में विलम्ब; तथा (iii) अनुपालन की लंबी प्रक्रिया तथा कमियों को सूचित करने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, 121 मामलों में से 30 में बोर्ड ने आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रारंभिक सवीक्षा के पश्चात पहली कमी को 31 दिसंबर की समय सीमा के पश्चात सूचित किया था।

इस प्रकार, बोर्ड सबंद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सीमा का अनुपालन नहीं कर सका था।

12.7.4 सबंद्धता का अनुचित प्रदान करना

12.7.4.1 सबंद्धता के बिना कक्षाओं को प्रारम्भ करना

सबंद्धता उप-नियमों की धारा 15(9) के अनुसार किसी भी विद्यालय को बोर्ड की सबंद्धता की औपचारिक अनुमति प्राप्त किए बिना सीबीएसई प्रतिमान की कक्षा VI/IX/XI, जैसा भी मामला हो, प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं है तथा इस शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी विद्यालय को दो वर्षों की अवधि हेतु अयोग्य ठहराया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 203 मामलों में से 58 में, जहां विद्यालयों ने माध्यमिक कक्षा हेतु सबंद्धता/माध्यमिक हेतु प्रावधानिक सबंद्धता/उच्च माध्यमिक प्रारम्भ के पश्चात प्रदान की गई थी जिसने दर्शाया कि विद्यालय बोर्ड की अनुमति के बिना कक्षाओं का संचालन कर रहे थे वर्तमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। फिर भी बोर्ड द्वारा कोई अयोग्यता निर्धारित नहीं की गई थी।

12.7.4.2 दस्तावेजो की अनुपयुक्त संवीक्षा

संबद्धता उप-नियमों की धारा 8(5) के अनुसार, विद्यालय की स्वास्थ्य तथा स्वच्छता स्थिति के सबंध में स्थानीय सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी तथा जल/अग्नि/परिवहन/सुरक्षा के सबंध में नगरपालिका/अग्नि/परिवहन प्राधिकरण से निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तथा इन्हे सबंद्धता हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के सबंध में विद्यालय द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक नवीन प्रमाणपत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रमाणपत्र जिन्हे नगरपालिका प्राधिकरण/अग्नि प्राधिकरण/परिवहन प्राधिकरण से सलंग्न किया जाना आपेक्षित था। जांच किए

गए 203 मामलों में से 123 में उपयुक्त प्रारूप में नही थे। इसके अतिरिक्त, 123 मामलों के 76 में सबंद्धता उन प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रदान की गई थी जो समाप्त हो चुके थे अथवा एक वर्ष की वैधता वाले थे। इसके परिणामस्वरूप इसका परिणाम छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सुरक्षा के सबंध में आश्वासन के बिना सबंद्धता प्रदान की गई।

12.7.5 निरीक्षण प्रणाली में कमियां

विनियमनों के अध्याय IV की धारा 1(10) (V) के साथ पठित सम्बद्धता उपनियम की धाराएं 13(1) तथा 15(3) के अनुसार, सबंद्धता समिति का एक कार्य संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों के एक पैनल का गठन करना है। आवेदन की प्राप्ति पर सचिव प्रारम्भिक जांच के पश्चात अध्यक्ष को सूचित करेगा जो उन विद्यालयों जिन्होने सबंद्धता हेतु आवेदन किया है, के निरीक्षण हेतु निरीक्षण समितियों का गठन करेगा। सबंद्धता समिति, एक संस्थान के निरीक्षण की तिथि के तीन महीनों के भीतर, इसके द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को उस पर अपनी सिफारिश सहित अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

गठित की गई निरीक्षण समितियों तथा प्रदान की गई सबंद्धताओ के ब्यौरों को नीचे **तालिका सं. 7** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका सं. 7: गठित निरीक्षण समितियां तथा सम्बद्धता

	कुल	प्रदान सबंद्धता	प्रदान न की गई लंबित सबंद्धता
वर्तमान आवेदन हेतु गठित निरीक्षण समितियां	118	65	53
पहले की सबंद्धता अवधि हेतु गठित निरीक्षण समितियां	65	59	6
किसी भी निरीक्षण समिति का गठन न करना	20	16	4
कुल	**203**	**140**	**63**

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) यद्यपि सबंद्धता उप-नियमों की धारा 15(3) तथा 15(5) के साथ पठित अध्याय IV की धारा 1(10) (V) के तहत विनियमनों ने सबंद्धता प्रदान करने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की आवश्यकता को निर्धारित किया फिर भी सबंद्धता 75 विद्यालयों को

निरीक्षण समिति के गठन तथा निरीक्षण किए बिना प्रदान की गई थी। 75 में 59 विद्यालयों में सबंद्धता की प्रक्रिया के पिछले चक्र हेतु किए गए निरीक्षण के आधार पर सबंद्धता प्रदान की गई थी।

निरीक्षण समिति के सदस्यों का चयन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षणों की संख्या, जिसके लिए एक सदस्य का चयन किया जाता है, को प्रणाली में अनुरक्षित किया जाता है तथा प्रणाली अपने आप सदस्यों को प्राथमिकता देती है जिन्होनें कम निरीक्षण किए है। निरीक्षण समिति के गठन के पश्चात् निरीक्षण दल के साथ समन्वय हेतु सदस्यों के नामों को विद्यालयों को सूचित किया जाता है तथापि, इसके पश्चात् यह दर्शाने की कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं है कि क्या सदस्य ने वास्तव में निरीक्षण किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, जब कभी एक सदस्य सेवानिवृत होता है/स्थानांतरित होता/सेवा छोड़ता है तो ऑनलाईन प्रणाली को अघतन भी नहीं किया जाता है।

(ii) डाटाबेस का अद्यतन न किए जाने के कारण 13 आवेदनों के मामलों में सात अवसरों में सदस्यों की सेवानिवृति तथा नौ अवसरों में सदस्यों के स्थानांतरण के कारण निरीक्षण समितियों को 16 बार पुनर्गठित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप छः मामलों में विद्यालयों को सबंद्धता प्रदान करने में विलम्ब हुआ, जबकि शेष मामलों में सबंद्धता अभी भी प्रदान की जानी है।

(iii) निरीक्षण समितियों को विद्यालयों की सबंद्धता के सबंध में बोर्ड की सभी आवश्यकताओं जैसे कि नियमों का अनुपालन, अवसरंचना का प्रावधान, शिक्षकों को वेतन का भुगतान एवं शिक्षको, स्टाफ को सेवा लाभ तथा छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं की तुलना में शुल्क सरंचना की जांच करना प्रत्याशित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षण समिति ने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के बावजूद 59 मामलों में विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। यद्यपि 41 विद्यालयों को पाई गई कमियों के उनके अनुपालन के पश्चात सबंद्धता प्रदान की गई थी फिर भी 18 विद्यालयों को

सबंद्धता प्रदान करना अभी भी लंबित है क्योंकि विद्यालयों को निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों का सुधार करना है।

12.7.6 संबद्ध विद्यालयों के मामले में विनियमनों का अनुपालन न करना

12.7.6.1 नियमित निरीक्षण न करना

सबंद्धता उप-नियमों की धारा 3(सी) (V) (एफ) के अनुसार बोर्ड को विद्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू सबंद्धता उप-नियमों में निर्धारित मापदण्डों/शर्तों का सख्ती से पालन किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने पहले से संबद्ध विद्यालयों का आवधिक निरीक्षण करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है। यह भी देखा गया था कि विद्यालयों का ऐसा कोई निरीक्षण, जैसी संबद्धता उप-नियमों में अभिकल्पना की गई है, नहीं किया जा रहा था। सबंद्ध विद्यालयों का निरीक्षण उन मामलों में अधिक आवश्यक है जहां बोर्ड द्वारा सबंद्धता विशेष शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रदान की गई है जिसका विद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाना है क्योंकि ऐसे मामलों में इन शर्तों का विद्यालय द्वारा अनुपालन पर बोर्ड द्वारा कोई आगे अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।

बोर्ड ने बताया (मई 2017) कि गंभीर शिकायतों/शिकायत/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त इनपुट/विस्तार के आवेदन की संवीक्षा के दौरान अनियमितताओं तथा यादृच्छिक आधार पर केवल निजी विद्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। चूंकि अधिकांश समितियां आफलाईन गठित की जाती है इसलिए कोई पूर्ण केन्द्रीकृत डाटा उपलब्ध नहीं है।

12.7.6.2 वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना

संबद्धता उप-नियमों की धारा 13(3)(i) के अनुसार विद्यालय को अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए जिसमें सबंद्धता स्थिति, प्रावधानिक सबंद्धता की अवधि, अवसरंचना के ब्यौरे, शिक्षकों के विवरण, छात्रों की संख्या तथा सबंद्धता उप-नियमों के मापदण्डों की पूर्ति की स्थिति सहित व्यापक सूचना शामिल हो तथा इसे प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से पहले वैब साईट पर डालना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन न होने को मॉनीटर करने हेतु कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं था।

बोर्ड ने बताया (मई 2017) कि मॉनीटरिंग विद्यालयों द्वारा मॉनीटरिंग अनुपालन पर डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि यह संभव नही था। बोर्ड ने आगे सूचित किया कि इसके सभी सबंद्ध विद्यालयों हेतु अपनी विस्तृत सूचना का ऑनलाईन अद्यतन करने हेतु नवम्बर 2016 में एक ऑनलाईन सबंद्ध विद्यालय सूचना प्रणाली (ओएएसआईएस) को प्रारम्भ किया गया है। नवम्बर 2016 तक संबद्ध 18,124 विद्यालयों में से कुल 16,047 ने अगस्त 2017 तक ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत की है।

12.7.6.3 विद्यालय निधियों की लेखापरीक्षा न करना

संबद्धता उप-नियमों की धारा 13(10) प्रावधान करती है कि बोर्ड जब कभी यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझता है कि (ए) विद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित निधियों/शुल्क का शिक्षा को आगे बढ़ाने के सिवाए किसी अन्य उद्देश्य हेतु अपवर्तित नहीं किया गया है; (बी) स्टाफ को उप-नियमों के अनुसार वेतन अदा किया गया है; तथा (सी) कोई अन्य वित्तीय अनियमिता, तो विद्यालय की निधियों की लेखापरीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है।

बोर्ड ने सूचित किया (मई 2017) कि ऐसे किसी डाटा (निधियों की लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट का अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है तथा इसलिए उपलब्ध नहीं है।

12.7.7 निष्कर्ष

संबद्धता समिति द्वारा सबंद्धता प्रदान करते समय की जाने वाली प्रत्याशित संवीक्षा को छोड़ने सहित सबंद्धता उप-नियमों के प्रावधानों अंतर थे। इसके साथ सबंद्धता प्रदान करने में विलम्ब, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित न करना तथा आवधिक निरीक्षणों की कमी शामिल है जिसका परिणाम बोर्ड को अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सबंद्ध विद्यालयों के मानक तथा अवसरंचना एवं छात्रों को प्रदान शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके प्रत्याशित पर्यवेक्षण हेतु समर्थ न बनाने में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सितंबर 2017 में मंत्रालय को प्रेषित की गई थी; उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2017)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

12.8 विशेष भत्ते/मानदेय का अनियमित भुगतान

जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन करके विशेष भत्ते/मानदेय के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 के नियम 209 (6)(iv)(ए) में अनुबद्ध है कि वे सभी अनुदानग्राही संस्थान जो अपने आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं, अपने सभी कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्तें, तैयार करेंगे जो केन्द्रीय सरकार में इसी श्रेणी के कर्मचारियों को लागू से उच्च न हों। अपवादिक मामलों में, कोई छूट वित्त मंत्रालय के परामर्श से दी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक स्टाफ के वेतन एवं भत्ते केन्द्रीय सरकार की नियमावली तथा अधिसूचनाओं के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने विशेष भत्ते/मानदेय हेतु पात्र कुछ पद[38] वर्गीकृत किए तथा दरे निर्धारित की जिन पर विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को ऐसे भुगतान किए गए थे। तथापि, आईआईटी मुम्बई ने शासक बोर्ड (बोर्ड) के विभिन्न प्रस्तावों द्वारा कई वर्षों से मासिक मानदेय/विशेष भत्ते के भुगतान हेतु अन्य पदों को लाभ भोगियों की पात्र सूची में शामिल किया था। संस्थान ने, मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसे बोर्ड के प्रस्तावों द्वारा आवधिक रूप से नियमित आधार पर इन दरों को भी बढ़ाया था।

एमएचआरडी ने, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संसोधित वेतनमान का लाभ पहुंचाते हुए विशेष उल्लेख किया था (अगस्त/सितम्बर 2009) कि ऐसे सभी सुविधाएं तथा परिलब्धियां जो सरकारी अनुदेशों के अनुसार नहीं थी, को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें केन्द्रीय सरकारी विभागों के समान थी। इसके अतिरिक्त, 'मानदेय' (एफआर 46) अर्थात 'ऐसे कार्य जो

[38] उप निदेशक डीन, वार्डन तथा एसोसि/सहायक वार्डन

अवसरिक या सविरामी प्रकृति के हो, के लिए दी गई राशि' की परिभाषा पर विचार करते हुए सरकार ने आईआईटी मम्बई द्वारा उसके अनुदेशों का विचलन करके मासिक आधार पर नेमी रूप में अपने स्टाफ को मानदेय देने तथा संस्थान को ऐसे भुगतानों को रोकने तथा जनवरी 2006 से किए गए भुगतानों की वसूली करने के निर्देश दिए।

आईआईटी मुम्बई ने मानदेय के ऐसे भुगतानों को वापस लेने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2009) तथा निर्देश दिया कि संकाय सदस्यों को प्रतिपूरक देने के लिए सरकारी निधियों के अलावा स्त्रोतों की जांच की जाए। तदन्तर, आईआईटी मुम्बई के निदेशक ने संकाय सदस्य तथा अन्य स्टाफ को संस्थान विकास निधि (आईडीएफ जो संस्थान की आय तथा उस पर अर्जित ब्याज से संग्रहीत की जाती है, से मानदेय का भुगतान करने तथा जनवरी 2006 से संबंधित लाभभोगियों से वसूल करने की बजाय इस निधि से लाभभोगियों को पहले किए गए भुगतानों को समायोजित करने का अनुमोदन किया (अक्तूबर 2009)।

मानदेय/विशेष भत्ते का नियमित मासिक भुगतान तथा उसका आईडीएफ से समायोजन जारी रखने का आईआईटी मुम्बई का निर्णय सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करना था। जनवरी 2006 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान आईआईटी मुम्बई ने संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों को ₹ 9.76 करोड़ के मानदेय/विशेष भत्ते का भुगतान किया था।

अप्रैल 2017 में, मंत्रालय ने सूचित किया कि प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) तथा एमएचआरडी के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) को कहा गया था कि आईआईटी पर्याप्त रूप से भारत सरकार (जीईआई) द्वारा वित्त पोषित होता है तथा भुगतान के किसी स्त्रोत का ध्यान किए बिना किसी भत्ते को जीओआई द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मंत्रालय ने 2010 में चार श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष भत्ता देना निर्धारित किया गया था और किसी अनुवर्ती संशोधन हेतु भुगतान से पूर्व मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया था। एमएचआरडी के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) ने यह और बताया कि आईएफडी के पास सुसंगत प्रावधानों/नियमों में ढील देने तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति नहीं होती तथापि संस्थान ने न केवल कर्मचारियों की अनुमोदित श्रेणियों की

दरों को बढ़ाया बल्कि विशेष भत्ते/मानदेय के भुगतान हेतु सूची में अन्य 11 श्रेणीयों को भी शामिल किया था।

तदन्तर मंत्रालय ने जुलाई 2017 में बताया कि विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय/विशेष भत्ते के भुगतान हेतु प्रावधान आईटी मुम्बई के सांविधि (1962) की धारा 23.5 में है। आईआईटी में मानदेय तथा भत्तों पर एफआर 46 के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता जिसमें वार्षिक सीमा ₹ 5000 निर्धारित की गई है, अर्थात् आईआईटी में मानदेय तथा विशेष भत्ते किसी सरकारी नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार, इस भत्ते/मानदेय का भुगतान करने में बोर्ड का निर्णय गलत नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह जीएफआर 2005 के नियम 209(6)(iv)(ए) का उल्लंघन था क्योंकि एमएचआरडी द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से आईआईटी मुम्बई का विशेष भत्ते/मानदेय के भुगतान हेतु कोई छूट नहीं दी गई थी। आगे, मंत्रालय द्वारा उद्धृत सांविधि की धारा 23.5 में केवल यह प्रावधान है कि वार्डन तथा सहायक वार्डन को प्रतिमाह ₹ 50 का भत्ता दिया जाएगा बशर्ते किसी प्रोफेसर की वार्डन के रूप में नियुक्ति न हो, वह कोई भत्ता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। तात्कालिक मामले में आईआईटी मुम्बई ने बहुत बड़ी कर्मचारियों की श्रेणी को मानदेय/विशेष भत्ते का भुगतान किया था। इस प्रकार, संकाय सदस्यों तथा स्टाफ को मानदेय/विशेष भत्ते के रूप में किया गया ₹ 9.76 करोड़ का भुगतान अनियमित था तथा वर्तमान नियमों का उल्लंघन था। इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उल्लिखित उन विशेष भत्तों/मानदेयों के अनियमित भुगतान के उदाहरण हैं जो आईआईटी मुंबई के रिकॉर्ड के परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा के संज्ञान में आये थे तथा इसी तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिम को शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार, मंत्रालय इस तरह के मामलों की संभावना को हटाने के लिए अपने नियंत्रण में सभी स्वायत्त निकायों में विशेष भत्ते/मानदेय के अनियमित भुगतान की समीक्षा कर सकता है।

12.9 सेवा कर का अनियमित भुगतान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई यथोचित परिश्रम करने में विफल रहा और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण गतिविधियों पर ₹ 2.56 करोड़ की राशि के सेवा कर का अनियमित भुगतान किया गया था जिसपर सेवाकर के भुगतान की छूट थी।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012 एसटी के माध्यम से मुख्य रूप से शैक्षिक स्थापना के रूप में उपयोग हेतु एक संरचना के निर्माण, स्थापन, काम में लाए जाने, संस्थापना, पूरा करने, तैयार करने, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण या परिवर्तन करने के माध्यम से सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को प्रदान सेवाओं पर सेवाकर की छूट दी थी। उपरोक्त छूट को दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना 6/2015 एसटी के माध्यम से हटा दिया गया था। लेकिन, तत्पश्चात्, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 1 मार्च 2016 की अधिसूचना 09/2016 एसटी के माध्यम से इस शर्त के साथ पुन: शुरू करने के लिए कहा कि पूर्वोक्त गतिविधियों को एक अनुबंध के अंतर्गत होना चाहिए जिन्हें 1 मार्च 2015 से पूर्व प्रवेश किया गया है और जिसपर जहां लागू हो, उचित स्टांप शुल्क उस तिथि से पूर्व भुगतान किया गया हो।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई 1 मार्च 2015 से पूर्व पांच निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध किया था और 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान इन निर्माण कार्यों पर ₹ 2.56 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था। चूंकि इन गतिविधियों को 1 मार्च 2016 से सेवा कर की छूट दी गई थी, 1 मार्च 2016 के पश्चात् सेवाकर के रूप में ₹ 2.56 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

आईआईटी ने बताया (अगस्त 2017) कि पटना उच्च न्यायालय में शापुरजी पलुंजी एवं कम्पनी (पी) लिमिटेड/ आईआईटी पटना बनाम सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त (2015) के मामले में सेवा कर विभाग ने यह तर्क दिया कि आईआईटी पटना सरकारी प्राधिकरण नहीं है क्योंकि सरकार का इसमें 90 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी नहीं थी और अतः छूट अधिसूचना आईआईटी पटना पर लागू नहीं होती थी। अत:, यह स्पष्ट नहीं था

कि क्या आईआईटीबी पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर ठेकेदारों को सेवा कर का भुगतान रोकने के लिए अपनी ओर से कार्रवाई कर सकता है। इसलिए, संस्थान ने ठेकेदारों को सेवा कर का भुगतान किया था क्योंकि 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी शैक्षिक संस्थान से संबंधित छूट वापस ले ली गई थी।

संस्थान का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन निर्माण कार्यों के लिए समझौते 1 मार्च 2015 से पूर्व किए गए थे और निर्णय के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी (मार्च 2016) कि आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए थे और जून 2012 की अधिसूचना सेवा कर के भुगतान से संस्थान द्वारा शुरू किए गए निर्माण की गतिविधि पर छूट देता है। आईआईटी, मुम्बई पर योग्य संस्थान होते हुए ऐसी गतिविधि पर सेवाकर छूट का लाभ लेने के लिए कोई रोक नहीं थी।

मंत्रालय को मामले की सूचना दे दी गई थी (अप्रैल 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद, राष्ट्रीय फाऊंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

12.10 एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति

तीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने, 2011-16 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उनके कर्मचारियों द्वारा अप्राधिकृत एजेटों से खरीदी गई हवाई टिकटों के प्रति ₹ 1.28 करोड़ के हवाई किराए की अनियमित प्रतिपूर्ति की।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई यात्रा हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (एमओएफ) द्वारा जारी (सितम्बर 2010) दिशानिर्देशों के अनुसार हवाई टिकटें प्रत्यक्ष रूप से एयरलाइन्स[39] या प्राधिकृत यात्रा एजेंटों अर्थात मै. बाल्मर लॉरी

[39] एयरलाइन्स की वेबसाइट/बुकिंग काउंटर

व कम्पनी मै. अशोक ट्रैवल्स एंड टूर तथा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी)[40] की सेवाओं का उपयोग करके खरीदी जानी होती है।

तीन[41] केन्द्रीय स्वायत निकायों (सीएबीएम) में एलटीसी बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राधिकृत एजेंटों के इलावा ₹ 1.28 करोड़[42] राशि के हवाई टिकट खरीदे गए थे। चूँकि एमओएफ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके हवाई टिकटे खरीदी गई थी, इसलिए रु1.28 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनियमित थी।

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने बताया (मई 2017) कि चूँकि एयर इंडिया के काउंटर से तथा प्राधिकृत यात्रा एजेंट से टिकट बुक कराने की सुविधा धनबाद शहर मं उपलब्ध नहीं है, इसलिए संस्थान के कर्मचारी कठिनाई का सामना कर रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् एयर इंडिया वेबसाइट/प्राधिकृत यात्रा एजेंटों से हवाई टिकट बुक कराने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए थे। एनआईएफएफटी रांची ने बताया (जून 2017) कि 2015-16 से ऐसे एजेसियों के माध्यम से टिकट बुक के कोई मामले नहीं है तथा सभी बुकिंग अनुमोदित एयरलाइन्स/बुकिंग एजेंसियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की गई है। एनआईटी जमशेदपुर बताया (मार्च 2017) कि उन मामलों जहाँ अप्राधिकृत यात्रा एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक की गई हैं, में वर्ष 2016-17 से हवाई किराए का भुगतान रोक दिया गया है।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में सूचित किया गया था। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के संबंध में मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि सी एंड सीए जी द्वारा मार्च 2017 में ऐसे चूक के मामलों की पहचान करने के बाद संस्थान ने 2017-18 के वित्तीय वर्ष से हवाई यात्रा का लाभ लेने के लिए केवल सरकार द्वारा प्राधिकृत स्त्रोतों/एयर इंडिया से ही खरीदने के

---

[40] डीओपीटी के ओएम सं. 31011/6/2002 स्था(क) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार आईआरसीटीसी को इस सीमा तक प्राधिकृत किया गया है।

[41] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), जमशेदपुर

[42] आईआईटी (आईएसएम) धनबाद- ₹ 36.29 लाख, एनआईटी जमशेदपुर- ₹ 62.80 लाख तथा एनआईएफएफटी रांची- ₹ 29.01 लाख।

लिए अनिवार्य बना दिया गया है। एनआईटी जमशेदपुर तथा एनआईएफएपटी रांची के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

12.11 सेवा कर की वसूली न होने के कारण परिहार्य व्यय

सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई की विफलता के कारणवश अपने संसाधनों से सेवा कर के बकाया और ब्याज के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (आईआईटी चेन्नई) के वयस्क शिक्षा केन्द्र (सीसीई) संकाय सदस्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। उद्योग और आर एवं डी स्थापनाओं से पेशेवरों के लिए कई अल्पावधि कार्यक्रमों के साथ उपयोगकर्ता उन्मुख कार्यक्रमों को औद्योगिक संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजित करता है जिसके लिए वह शुल्क प्रभारित करता है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 की खंडों 26 और 27 के साथ पठित खंड 105 की उप-धारा जेडजेडसी के अनुसार, प्रमाणपत्र को जारी करने या न करने के साथ खेलकूद को छोड़कर किसी विषय या क्षेत्र पर कौशल या ज्ञान या कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र[43] द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण या कोचिंग पर सेवा कर लगाया जाएगा। सीसीई द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सेवा कर लगाये जाने के अधीन है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईआईटी, चेन्नई ने सीसीई द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सेवाकर एकत्रित और प्रेषित नहीं किया था। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुख्य रूप से निजी संस्थानों और इकाइयों के साथ कुछ

---

[43] धारा 65 के खंड 105 की उप-धारा जेडजेडसी के अंतर्गत स्पष्टीकरण/संदेहों के निवारण हेतु इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उप-धारा में आने वाली अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र" और खंड (26),(27) और (90 ए) में किसी भी नाम वाला कोई भी केन्द्र या संस्थान शामिल है जहां विचार हेतु प्रशिक्षण या कोचिंग प्रदान की जाती है चाहे ऐसा केन्द्र या संस्थान इस समय मौजूद किसी भी कानून के अंतर्गत एक न्यास या एक समाज या उसी प्रकार का अन्य संगठन हो या न हो और इस गतिविधि को लाभ के उद्देश्य के साथ या बिना चला रहा हो और अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

पीएसयू तथा सरकारी इकाइयों के लिए थे। सेवाकर विभाग ने सीसीई द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए प्रदत्त वाणिज्यिक प्रशिक्षण पर सेवा कर के प्रति ₹72.76 लाख के भुगतान की मांग की थी (जनवरी 2016)। तत्पश्चात्, आईआईटी चेन्नई को मार्च 2016 में सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के प्रति ₹ 45.76 लाख के साथ सेवा कर के प्रति ₹ 72.76 लाख का भुगतान करना था। यह पाया गया कि संस्थान सीसीई के माध्यम से वाणिज्यिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में विफल हुआ था। परिणामस्वरूप, आईआईटी चेन्नई को सेवा कर और ब्याज के बकाया के प्रति ₹ 1.19 करोड़ की राशि, को अपने संसाधनों से भुगतान करना पड़ा था, जो परिहार्य था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2007) कि अतिरिक्त कानूनी देयताओं से बचने के लिए ब्याज सहित सेवा कर का भुगतान किया गया था। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों पर अब सेवा कर एकत्रित किया जा रहा है और सेवा कर विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

इस प्रकार आईआईटी चेन्नई की सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में विफलता के कारणवश ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली

12.12 अभिप्रेत उद्देश्य के लिए विद्यालय भवन का उपयोग न किया जाना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली ने मंत्रालय से स्वीकृति और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना केन्द्रीय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन का निर्माण किया था जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹ 6.64 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली (एनआईटी) ने अपने परिसर में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्कूल के लिए विद्यालय भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2006) और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से विस्तृत आवश्यकताओं की मांग की। फरवरी 2007 में केवीएस ने एनआईटी से परियोजना क्षेत्र/उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के अंतर्गत एक केवी

खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। केवीएस ने आगे बताया कि आईएचएल के अंतर्गत एक केवी खोलने के लिए एनआईटी के शासक मंडल (बीओजी) द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया जाएगा कि एनआईटी संपूर्ण लागत अर्थात् आनुपातिक ओवरहेड प्रभार तथा भविष्य विकास व्यय सहित आवर्ती और अनावर्ती व्यय का भार उठाएगा तथा प्रस्तावित केवी के स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ उचित और उपयुक्त भूमि, भवन, फर्नीचर और उपकरण भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, एनआईटी और केवीएस के बीच हस्ताक्षर होने वाले समझौता ज्ञापन में इस वचन की आवश्यकता थी कि एनआईटी केवी को खोलने और चलाने की सारी लागत का भार उठाएगा और सचिव, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की सहमति से होगा।

एनआईटी ने केवी के लिए मंत्रालय को मई 2008 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् अप्रैल 2009 में, एनआईटी के बीओजी ने एनआईटी की निधियों से वेतनों का भुगतान करते हुए 2009-10 से केवी को स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जबकि मंत्रालय से प्रस्ताव के प्रति उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था। तत्पश्चात्, एनआईटी ने एमएचआरडी को अपेक्षित अनुमोदनों को शीघ्र करने के लिए याद दिलाया (सितम्बर 2009) और आवर्ती एवं अनावर्ति व्ययों हेतु अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति मांगी (सितम्बर 2011 और नवम्बर 2011) और केवीएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। एमएचआरडी की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना एनआईटी ने केवी के लिए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को ₹ 7.57 करोड़ के लिए सौंप दिया (जुलाई 2009) निर्माण कार्य ₹6.64 करोड़ की लागत पर पूरा हुआ और भवन मई 2013 में सौंप दिया गया था। उसी दौरान, एमएचआरडी ने एनआईटी से अनुरोध किया (मई 2012) कि वह भूमि, जोकि केवीएस को बिना किसी मूल्य के केवीएस को प्रदान की जा सकती है, उसके लिए बदले में स्वयं के बजट से आवर्ती और अनावर्ती लागत का भार उठाने के लिए केवीएस से बातचीत करें। हालांकि, केवीएस ने बताया (अप्रैल 2013) कि आईएचएल/परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केवल निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनआईटी में केवी को खोलना व्यवहार्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवर्ती और अनावर्ति व्यय को वित्तपोषित करने पर एमएचआरडी की कोई प्रतिबद्धता न होने के बावजूद और केवी स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उनकी सहमति लेने से पूर्व एनआईटी ने विद्यालय भवन का निर्माण कर दिया था। चूंकि विद्यालय की शुरूआत नहीं हो सकी थी, भवन विद्यार्थी गतिविधि केन्द्र के रूप में आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था और मार्च 2016 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली को अंशतः आवंटित किया गया था।

एमएचआरडी ने बताया (अक्तूबर 2017) कि उसने एनआईटी को जीएफआर में निर्धारित मानदंडों और संस्थान में भवन के निर्माण से संबंधित समय-समय पर जीओआई द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से और सावधानीपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए है। संस्थान से यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में ऐसी प्रक्रियात्मक चूकें न दोहराई जाएं।

इस प्रकार, मौजूदा नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से एमएचआरडी का अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एनआईटी द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण के परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹ 6.64 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन का उपयोग नहीं हुआ था।

केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय, गांधीनगर

12.13 अकार्यात्मक उपकरण

आपूर्ति आदेश की शर्तों को लागू करने के प्रभावी अनुवर्तन की कमी और खराब अनुबंध प्रथा के कारणवश ₹ 2.22 करोड़ के मूल्य के उपकरण अकार्यात्मक रहे।

केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय (सीयूजी), गांधीनगर अपने विभिन्न विभागों द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपकरण खरीदता है। उपकरण के प्रापण हेतु निविदाओं के नियम एवं शर्तें शिपमेंट तिथि से 24 माह तक या शिपमेंट तिथि से 27 माह जो भी पहले हो तक उपकरण की वारंटी अवधि का अनुबंध करती हैं। वारंटी के उल्लंघन के मामले में, आपूर्तिकर्ता को ऐसे उल्लंघन के कारण होने वाली प्रतिपूर्ति का ग्राहक को भुगतान करना होगा। निविदा की शर्तें प्रावधान करती हैं कि सफल बोलीकर्ता को बैंक गारंटी/वारंटी

और निष्पादन गारंटी सहित आपूर्ति आदेश की प्राप्ति पर अनुबंध (आपूर्ति के मानक नियम एवं शर्तों के साथ) करना होगा।

सीयूजी के जीव विज्ञान विद्यालय (एसएलएस) ने जन स्पेक्ट्रोमेटी के उद्देश्य हेतु मेट्रिक्स द्वारा सहायता प्रदत्त लेज़र डिजोर्पशन/उड़ान मशीन के आयनीकरण-समय के प्रापण का प्रस्ताव दिया था। उपकरण का ₹ 2.22 करोड़ की लागत पर अगस्त 2012 में प्रापण किया गया था और सितम्बर 2012 में संस्थापित किया गया था। संस्थापन के पश्चात् यह पाया गया कि उपकरण रूक रूक कर कार्य कर रहा था और यूपीएस के विफल होने के कारण नवम्बर 2013 में पूर्ण रूप से वह विफल हो गया था। दिसम्बर 2013 में आपूर्तिकर्ता द्वारा यूपीएस की मरम्मत की गई थी। हालांकि, उसके बाद भी वह कार्य करने में विफल रहा था। तत्पश्चात्, एसएलएस को समझ में आया (अप्रैल 2015) कि एक परावर्तक डिटेक्टर खराब था और केवल प्रतिस्थापन ही विकल्प था। 15 अप्रैल 2015 को एसएलएस और आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी जहां यह बात मानी गई थी कि चूंकि वारंटी की अवधि के दौरान खराबी आई थी इसलिए आपूर्तिकर्ता को मरम्मत की लागत वहन करनी होगी और उपकरण को संपूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाना होगा। हालांकि, उसके बाद आपूर्तिकर्ता ने परावर्तक डिटेक्टर के प्रतिस्थापन हेतु यूएस $25,000 की मांग की थी (21 अप्रैल 2015)।

उसके पश्चात् चूंकि आपूर्तिकर्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया था और उपकरण की मरम्मत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, सीयूजी ने मई 2015 में ₹19.90 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण किया था। लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने (अगस्त 2015/जुलाई 2016/जनवरी 2017) के पश्चात् सीयूजी ने आपूर्तिकर्ता को मामले का समाधान करने के लिए लिखा (मार्च 2017)। हालांकि, उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेजों में निर्धारित रूप से प्रापण हेतु आपूर्तिकर्ता के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया था। इस प्रकार, जुर्मानों के लिए कोई मानक प्रावधान नहीं था जिसे अनुबंध के उल्लंघन होने पर लागू किया जा सके या कानूनी उपायों का अनुसरण किया जा सके।

सीयूजी ने सूचित किया (अक्तूबर 2017) कि निविदा दस्तावेज की विस्तृत प्रवृत्ति जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, के कारण विश्वविद्यालय ने आपूर्ति आदेश के जारी होने के पश्चात् अलग अनुबंध नहीं किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों के कार्यों और किसी भी संविदा पक्ष द्वारा उल्लंघन होने पर लागू करने योग्य उपायों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक अनुबंध की मौजूदगी आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निविदा शर्तों में समझौते के संबंध में किसी दावे, विवाद या अंतर होने पर मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए एक प्रावधान शामिल है। सीयूजी मामले का समाधान करने के लिए इस प्रावधान को लागू करने के बारे में विचार करने में भी विफल रहा।

इस प्रकार, अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ त्रुटिपूर्ण संविदा के कारणवश अगस्त 2012 में ₹2.22 करोड़ की लागत पर प्रापण किया गया उपकरण व्यर्थ पड़ा रहा था (अक्तूबर 2017)।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

विश्व-भारती, शांतिनिकेतन

12.14 मानदेय का अनियमित भुगतान

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मानदेय के भुगतान से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

विश्व भारती, शांतिनिकेतन (वीबी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 209(6)(iv) (ए) में यह व्यवस्था है कि अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त करने वाले सभी अनुदानग्राही संस्थान अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम एवं शर्तों को तैयार करेंगे जो केन्द्र सरकार के समान वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों से अधिक न हों। असाधारण मामलों में, वित्त मंत्रालय के परामर्श से ढील दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, स्थापना एवं संबंधित

मामलों के संबंध में विबी द्वारा पारित संकल्प (जुलाई 1989) के अनुसार, यदि विश्वभारती के नियमों से काम नही हो रहा हो तो जीओआई के संबंधित नियमों का प्रयोग प्राधिकृत होगा।

वीबी के अधिनियम/संविधि में मानदेय की कोई व्यवस्था नहीं है। अत: मौलिक नियमावली (एफआर) का नियम 46 (बी) यहाँ लागू होता है जिसमें व्यवस्था है कि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे कार्य के लिए केन्द्र सरकार पारिश्रमिक के रूप में मानदेय प्रदान कर सकती है या इसे प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है जो आकस्मिक या अनियत प्रकृति का हो और या तो इतना श्रमसाध्य हो या फिर ऐसे विशेष महत्व का हो जिसके लिए विशेष पारितोषिक प्रदान किया जाए। नियम में आगे बताता है कि इस प्रावधान से विचलन हेतु जब विशेष कारण हो उन स्थितियों को छोड़कर, मानदेय प्रदान करने की संस्वीकृति तब तक न दी जाए जब तक कि कार्य की शुरूआत केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति लेकर न की गयी हो और इसकी राशि को पहले से समायोजित न किया गया हो।

लेखापरीक्षा परीक्षण से पता चला कि वीबी संकायों/अधिकारियों को विभिन्न पदों से संबद्ध नियमित दायित्वों को पूरा करने के लिए मासिक मानदेय का भुगतान नीचे **तालिका सं. 8** में दी गई दरों पर कर रही थी:

तालिका सं. 8: संकाय/अधिकारियों को मासिक मानदेय

डाक	मासिक मानदेय की राशि (₹)
भवनों/विभागों के प्रॉक्टर, प्रोवोस्ट एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा-नियंत्रक, निदेशक	5000
विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष	3500
डिप्टी डीन, डिप्टी प्रॉक्टर, वॉर्डन	3000
उप-प्रधानाध्यापक	2000

मार्च 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, वीबी 165 संकाय/अधिकारियों को ₹ 1.07 करोड़ राशि के मानदेय का भुगतान किया था।

चूंकि, विश्वभारती ने नियमित कार्य के लिए मानदेय का भुगतान किया था जो न तो आकस्मिक प्रकृति का था और न ही अनियत था, इस प्रकार के मानदेय का भुगतान करना प्रयोग्य नियमों की संगति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, वीबी ने मानदेयों के भुगतान हेतु एफआर के प्रावधानों से विचलन हेतु मंत्रालय

से कोई अनुमोदन नहीं लिया था, इसके कारण मानदेय के प्रति हुआ ₹ 1.07 करोड़ का पूरा भुगतान अनियमित हो गया था।

वीबी ने बताया (जुलाई 2017) कि यद्यपि मानदेय के रूप में धनराशि का भुगतान हुआ था, यह छात्रों के हित में विशेष अवधि तक अतिरिक्त दायित्वों के वहन हेतु विशेष भत्ते के रूप में थे और तदनुसार प्रत्येक माह इसका भुगतान किया जा रहा था। वीबी ने यह भी बताया कि हालांकि अप्रैल 2017 से प्रधानाध्यापकों, विभागाध्यक्षों और प्रॉक्टर को मानदेय का भुगतान बंद कर दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि एफआर के प्रावधानों के अंतर्गत मानदेय के भुगतान को विशेष भत्ते के रूप में शामिल नहीं किया गया है और वीबी ने विशेष भत्ते के भुगतान हेतु मंत्रालय से अनुमोदन नहीं लिया था।

मामला मई 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

तेजपुर विश्वविद्यालय, असम

12.15 शिक्षकों को अनुचित लाभ

मौजूदा नियमों के उल्लंघन में तेजपुर विश्वविद्यालय, असम ने उच्चतर पद पर पदोन्नति/पुन: पदनामित करने की अनुमति दी और 10 अध्यापकों को उच्चतर वेतन दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 99.25 लाख के वेतन और भत्ते का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने जनवरी 2006 से प्रभावी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और समकक्ष पदों के लिए वेतनमानों, सेवा शर्तों और कैरियर प्रगति योजना (सीएएस) को संशोधित किया था (दिसम्बर 2008)। मंत्रालय ने बताया कि अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन इस पक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित नियमों और योजना के विभिन्न प्रावधानों के तहत होगा। तदनुसार, यूजीसी ने जून 2010 में विनियम[44] निर्धारित किए और

[44] यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों का अनुरक्षण के लिए उपाय) नियमावली 2010

मंत्रालय द्वारा निर्धारित संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अपनाए थे। सीएएस के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना अनुबद्ध करता है कि मौजूदा रीडर जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी नहीं की थी उन्हें रीडर के रूप में तीन साल की सेवा पूरी करने तक ₹ 8000 के शैक्षिक ग्रेड वेतन (एजीपी) के साथ ₹ 15600 - ₹ 39100 के पेबैंड में उपयुक्त स्तर पर रखा जाएगा। तत्पश्चात, उन्हें ₹ 9000 के एजीपी के साथ ₹ 37400 - ₹ 67000 के उच्चतर पेबैंड में रखा जाएगा और उन्हें एसोसिएट प्रोफेसरों के रूप में पुन: पदनामित किया जाएगा। यही वेतन संरचना सीधे भर्ती हुए रीडरों के लिए भी लागू होती थी। संशोधित वेतन सरंचना ने आगे निर्धारित किया कि ₹ 9000 के एजीपी में सेवा के तीन वर्ष पूरा करने पर एसोसिएट प्रोफेसर ₹ 10000 के एजीपी के साथ प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति होने के लिए योग्य होंगे।

तेजपुर विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) असम के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय ने अपने चार[45] मौजूदा रीडरों को, उनके तीन वर्ष की सेवा पूरी करने से भी पूर्व जनवरी 2006 से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुन: पदनामित किया था (मई 2009) और उन्हे ₹ 9000 के एजीपी के साथ उच्चतर पेबैंड का लाभ दिया था। विश्वविद्यालय ने यह लाभ अन्य छ:[46] रीडरों को दिया था। जोकि या तो सीएएस के अंतर्गत पदोन्नत हुए थे या फिर जनवरी 2006 और जून 2010 के बीच नियुक्त हुए थे। चूंकि, किसी भी अध्यापक ने रीडर के रूप में तीन वर्ष पूरे नहीं किए थे, उनका वेतन ₹ 8000 के एजीपी के साथ ₹ 15600 - ₹ 39100 के पेबैंड में निर्धारित किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विश्वविद्यालय ने इन अध्यापकों[47] में से एक को अपेक्षित सेवा को पूरा करने से पूर्व सीएएस के अंतर्गत प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान वेतन और भत्तों के प्रति दस अध्यापकों को ₹ 99.25 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि अतिरिक्त वेतन एवं भत्तों की वसूली के लिए कार्रवाई की शुरूआत हो चुकी

[45] ए.के. मुखर्जी, डी.हजारिका, एन.करक और आर.सी. डेका

[46] एन. दास, जी.ए. एहमद, डी.पी. नाथ, डी.डेका, डी.सी. बरूआ और पी. डेब

[47] श्री डी.पी. नाथ

है। ऐसा तब किया गया था जब वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय की छूट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था (मई 2017) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से अपने प्रस्ताव को भेजने के लिए उन्हें सलाह दी थी। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया (सितम्बर 2017)।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

12.16 पुस्तकों तथा जर्नल के प्रापण में अनियमित व्यय

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ने अपने स्वंय की निर्धारित प्रक्रिया तथा जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में एक गैर-सूचीबद्ध प्रकाशक से 1,830 पुस्तकों/जर्नलों की खरीद के प्रति ₹ 1.50 करोड़ का व्यय किया। इन 1,830 में से ₹ 81.45 लाख कीमत की 801 पुस्तको तथा 180 जर्नलों से संबंधित न तो कोई पावती और न ही पुस्तकालय प्राप्ति पंजिका में कोई प्रविष्टि है जो व्यय को संदेहास्पद बनाता है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संस्थान) इलाहबाद के पास कुछ नियमों एवं शर्तें जो क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हैं, के तहत पुस्तकों की आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध पांच विक्रेता हैं। पुस्तकालय आमतौर पर वह पुस्तक शीर्षों का प्रापण करता है जिनकी संकाय सदस्य द्वारा सिफारिश की गई है, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उचित प्रकार से प्रेषित तथा सक्षम प्राधिकारी (निदेशक) द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित इनफ्लिबनेट ई-सोधसिंधु सकांय (पहले इनडेस्ट) के माध्यम से ऑनलाईन ई-जर्नलों का प्रापण करता है।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 का नियम 187(1) अनुबद्ध करता है कि भण्डार का प्रभारी अधिकारी को संबंधित संविदा शर्तों का संदर्भ लेना चाहिए तथा सामग्रियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 187(3) बताता है कि प्राप्त की गई सामग्री के ब्यौरो को उपयुक्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए तथा भण्डार के प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने वास्तव में सामग्री प्राप्त की है तथा उपयुक्त स्टॉक रजिस्टर में इसे दर्ज किया है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि सामग्री वास्तव में भुगतान करते समय प्राप्त की गई थी।

अभिलेखो की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संस्थान ने पुस्तकालय की पुस्तकों/जर्नलों के प्रापण हेतु स्वंय की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना एक गैर-सूचीबद्ध प्रकाशक से अक्तूबर 2012 से अक्तूबर 2013 के बीच ₹ 1.15 करोड़ की कीमत की 1830 पुस्तकों/जर्नलों (1550 पुस्तकें तथा 280 जर्नल) का प्रापण किया। जिनकी सूपूदर्गी फरवरी तथा अक्तूबर 2013 के बीच की गई थी। सभी पुस्तकों/जर्नल का चालन संस्थान के उस समय के निदेशक के नाम बनाया गया था। भुगतानों को उस समय के निदेशक, सक्षम अधिकारी होने, के नाते पुस्तकालय में पुस्तक की वास्तविक प्राप्तियों को सुनिश्चित किए बिना प्राधिकृत किया गया था। संकाय सदस्य/विभागो से किसी मांग तथा किसी क्रय आदेश का कोई अभिलेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, 1830 पुस्तकों/जर्नलों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹81.45 लाख की लागत की 801 पुस्तकें तथा 180 जर्नलों को न तो पुस्कालय द्वारा प्राप्त किया गया था और न ही पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

संस्थान ने बताया (मार्च 2017) कि उनके पास मामले में संबंधित कोई सूचना/सुसगंत दस्तावेज नहीं थे। प्रकाशक को भुगतान निदेशक की स्वीकृति के पश्चात वायर अंतरण के माध्यम से किए गए थे।

इस प्रकार, संस्थान पुस्तकालय की पुस्तकों/जर्नलों के प्रापण हेतु स्वंय की निर्धारित प्रक्रिया तथा जीएफआर के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ के अनियमित व्यय हुआ। इसमें से, ₹81.45 लाख की कीमत की पुस्तको तथा जर्नलों से सबंधित सस्थान के पुस्तकालय में कोई प्राप्ति तथा पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं थी जो व्यय को संदेहास्पद बनाता है।

मामला मई 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

एबीवी - भारतीय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम), ग्वालियर, भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन, तथा विनिर्माण सूचना संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर तथा राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल

12.17 सेवा कर का अनियमित भुगतान

एबीवी-आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर तथा एनआईटीटीटीआर भोपाल ने बाहर से ली गई सेवाओं पर सेवाकर के रूप में ₹ 82 लाख का भुगतान किया हालांकि ये संस्थान ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 1 जुलाई 2012[48] से शैक्षिक संस्थानों को या द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ सेवाओं को सेवा कर से छूट दी हुई थी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि छूटप्राप्त सेवाओं में अन्य के साथ साथ वह सेवाएं भी शामिल है जो शैक्षिक संस्थानों द्वारा साधारण अपने आप की जाती है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से बाह्य सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने यह और स्पष्टीकरण दिया कि ऋणात्मक सूची में प्रविष्टि करके यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवा कर[49] से छूट प्राप्त हैं। इन सेवाओं में छात्रावास, हाऊसकीपिंग, सुरक्षा सेवाएं, कैन्टीन आदि भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं जैसे सुरक्षा सफाई तथा हाऊसकीपिंग जो सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी, के लिए ₹ 82 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था जिसके विस्तृत ब्यौरा **तालिका सं. 9** में दर्शाया गया हैः-

---

[48] अधिसूचना सं.25/2012- सेवा कर दिनांक 20 जून 2012

[49] परिपत्र सं.172/7/2013 एस टी दिनांक 19 सितम्बर 2013

तालिका सं. 9: सेवा कर के विवरण का भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संस्थान	बाहर से ली गई सेवाएं	अवधि	अदा किए गए सेवा कर
1.	अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम) ग्वालियर	सुरक्षा, सफाई तथा हाऊसकीपिंग	जुलाई 2012 से अक्तूबर 2016	43.00
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा विर्निर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम) जबलपुर	सुरक्षा सेवाएं	सितम्बर 2012 से जून 2015	32.00
3.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल	सुरक्षा सफाई तथा हाऊसकीपिंग	अप्रैल 2014 से जुलीई 2015	7.00
			कुल	**82.00**

एबीवी-आईआईआईटीएम ग्वालियर ने बताया (फरवरी तथा दिसम्बर 2017) कि संस्थान ने, सेवा प्रदाताओं को सेवा कर का भुगतान करना रोक दिया तथा ₹ 5.65 लाख वसूल किए जबकि आईआईआईटीडीएम जबलपुर (फरवरी 2017) तथा एनआईटीटीटीआर भोपाल (जून 2017) ने बताया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित सेवा कर को वसूल कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान को अधिसूचना की जानकारी होनी चाहिए तथा इस प्रकार, निधियों का संस्थान की अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2017 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

12.18 पट्टा किराए की वसूली न होना

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 23 पट्टाधारियों, जो चूक कर रहे थे के संबंध में किराए के संग्रहण या परिसरों की बेदखली के लिए प्रभावकारी कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 66.10 लाख के पट्टा-शैडों का अप्राधिकृत अधिभोग हुआ।

सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (अधिनियम) में, सार्वजनिक परिसरों से अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यदि सम्पदा अधिकारी को यह संतुष्टि होती है कि सार्वजनिक परिसरों में अप्राधिकृत निवास है तो सम्पदा अधिकारी बेदखली का एक आदेश उसमें कारण देते हुए यह निर्देश देने के लिए जारी करेगा कि सार्वजनिक परिसर आदेश में उल्लिखित तिथि को लेकिन इस आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों तक खाली कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति बेदखली आदेश को अस्वीकारता है या पालन करने में असफल रहता है तो सम्पदा अधिकारी उस व्यक्ति को वहा से निकाल कर सार्वजनिक परिसर में कब्जा कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य के लिए पुलिस का उपयोग भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर से बेदखल किया गया हो तो सम्पदा अधिकारी उन व्यक्तियों जिनसे सार्वजनिक परिसर का कब्जा लेना है को चौदह दिनों का नोटिस देने के बाद तथा उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने के पश्चात् ऐसे परिसरों पर शेष रही किसी सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसको निपटान करेगा या उसको हटाएगा।

अभियंताओं तथा डिप्लोमा धारकों के बीच स्व रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) इलाहाबाद ने 68 औद्योगिक शैडों का निर्माण कार्य (1973-74) तथा उनका 1973 तथा 1975 के बीच विभिन्न आवेदन उद्यमियो/कम्पनियों/फर्मों को आवंटित किया। पट्टा किराया पट्टा अनुबंध में नियत दर के अनुसार मासिक आधार पर वसूल किया जाना था। इसके अतिरिक्त पट्टा विलेख की शर्तों का पालन करने में

पट्टाकर्ता की विफलता के मामले में एनएनएनआईटी द्वारा दो माह नोटिस पर पट्टा समाप्त किया जाना था।

एमएसएनआईटी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 68 शैडों में से 37 मामलों में पट्टा अनुबंध 1989 तथा 2013 के बीच समाप्त हो गया था। 37 सैडों में से सात शैडों[50] के मामले में पट्टा किराया 31 मार्च 2017 को वसूल किया गया था। सात शैडों[51] के पट्टा निर्णयाधीन था तथा शेष 23 शैडों[52] के पट्टा अधिभोक्ताओं से रु 66.10 लाख राशि का पट्टा किराया एमएनएनआईटी द्वारा अभि वसूल किया जाना था। इन 23 शैडों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनएनआईटी ने नवम्बर 2013 मे पट्टाधारी को सूचित किया था कि अगर वे उचित किराया जमा नहीं कराते तो उनके शैड सील कर दिए जाएंगे और उन्हे वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। तथापि, कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी तथा एमएनएनआईटी ने केवल प्राप्य किराए के भुगतान हेतु वार्षिक अनुस्मारक ही जारी किए थे तथा चूंकि पट्टा पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए वही अधिनियम को प्रावधानों का आहवान करके अधिभोक्ता को बेदखल करने की कोई निश्चित कार्रवाई किए बिना 'उपयोग तथा अधिभोग हेतु क्षतियों' के सामान्य वाक्य के आधार पर किराए की मांग कर रहा था। एमएनएनआईटी प्रत्येक पट्टे के बकाया किराए की आवधिकता का उल्लेख करने की स्थिति में भी नहीं था। ये 23 शैड 31 मार्च 2017 तक अप्राधिकृत अधिभोग के अंतर्गत रहे।

एमएनएनआईटी ने बताया (मई 2017) कि पट्टाधारियों की कई इकाइयां काफी लम्बे समय से रूकी हुई थी तथा वे किराए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। एमएनएनआईटी ने यह और बताया कि चार पट्टाधारियों[53] ने बेदखली पर स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए इसके विरूद्ध एक केस फाइल किया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

---

50 शैड सं.-2,12, 23, 40ए, 48, 52 व 61

51 मै. यूपी इलैक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन (शैड सं.41-47) मामला माननीय उच्च न्यायालय मे लम्बित है।

52 शैड सं. 3, 9, 12ए, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 54, 58, 59, 60, 64, 65 व 68

53 शैड सं. जिसका मामला खारिज कर दिया है (12ए, 32, 35 एवं 60)

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनएनआईटी के दृष्टिकोण को निस्तेज किया गया है जैसाकि मार्च 2017 तक एमएनएनआईटी की निष्क्रिय कार्रवाई से सुस्पष्ट है। एमएनएनआईटी सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत अप्राधिकृत निवासियों के बेदखली के लिए यहाँ तक कि चार शैडों, जिसमे न्यायालय द्वारा मई 2014 में बेदखली को पास कर दिया था, निर्धारित कार्रवाई करने में विफल रहा।

इस प्रकार, एमएनएनआईटी की किराए की वसूली तथा 23 पट्टाधारियों के संबंध में परिसरों की बेदखली हेतु प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 66.10 लाख राशि के पट्टा किराए की वसूली न होने के साथ साथ संस्थान से संबंधित शैडों का अप्राधिकृत अधिभोग जारी रहा। ऊपर बताए गए किराए पर गैर-प्राप्ति के उदाहरण वैसे हैं, जो एमएमएनआईटी के रिकार्ड की जांच के दौरान लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए थे और इसी तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिम को शामिल नहीं करता है। इसी तरह की अनियमितताओं की संभावना को हटाने के लिए मंत्रालय अपने नियंत्रण में सभी स्वायत्त निकायों में किराया प्राप्ति की समीक्षा कर सकता है।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

12.19 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान

संस्थान की केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क से दस वर्षों के लिए छूट प्राप्त करने का आवेदन करने में विफलता होने के कारण उपकरण के अधिप्रापण में ₹ 60.36 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 10/97-सीई तथा सं.51/96-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 1997/23 जुलाई 1996 के अनुसार क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित लोक धनराशि से निधिबद्ध अनुसंधान संस्थानों को उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क जो यदि संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के पास पंजीकृत है तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी साधनों पर सपूर्ण रूप से अतिरिक्त शुल्क तथा पांच प्रतिशत यथामूल्य से अधिक हों के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना ने अक्तूबर 2013 से सितम्बर 2014 के बीच उपकरण की खरीद हेतु तीन आपूर्ति आदेश[54] जारी किए तथा दिसम्बर 2014 से जुलाई 2015 के बीच ₹ 62.31 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क सहित ₹ 6.64[55] करोड़ का भुगतान किया। यद्यपि एनआईटी पटना उपर्युक्त उद्धत अधिसूचनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने का पात्र था, तथापि संस्थान छूट प्राप्त करने का पात्र होने के लिए डीएसआईआर के पास पंजीकरण हेतु आवेदन करने में विफल रहा। संस्थान ने छूट के लिए केवल मई 2014 में आवेदन किया जो डीएसआईआर द्वारा फरवरी 2015 में दिया गया था। इस प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की छूट हेतु आवेदन करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 60.36[56] लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

एनआईटी पटना ने बताया (अप्रैल 2017) कि संस्थान को फरवरी 2015 में छूट दी गई थी तथा चूँकि खरीद आदेश अगस्त/सितम्बर 2014 में जारी किए गए थे, फिर भी संस्थान ने शुल्क का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त छूट प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संस्थान पात्र खरीदो/अधिप्रापणों पर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

संस्थान का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जुलाई 1996 तथा मार्च 1997 में छूट को अधिसूचित किया गया था लेकिन संस्थान ने छूट प्राप्त का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों[57] से अधिक का समय लिया था।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में सूचित किया गया है; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

---

[54] 24 सितम्बर 2014, 14 अगस्त 2014 तथा 30 अक्तूबर 2013

[55] हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर ₹ 0.43 करोड़+एडवांस इलैक्ट्रिल पावर सिस्टम सिमूलेटर ₹ 5.50 करोड़+अल्टिमा IV ऑटोमैटिक हाई रेजूलेशन मॉड्यूलर एक्स-रे डिफ्राएक्टोमीटर उपकरण ₹ 0.71 करोड़ के साइंटीलेशन काउंटर सहित।

[56] कुल ₹ 62.31 लाख के उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क का भुगतान किया गया। ₹ 10.09 लाख के सीमाशुल्क में से ₹ 1.95 लाख की राशि देय थी तथा ₹ 8.14 लाख की शेष राशि छूट प्राप्त थी।

[57] एनआईटी पटना जनवरी 2004 में अस्तित्व में आया तथा उसने मई 2014 में छूट हेतु आवेदन किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा

12.20 ब्याज की हानि

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा ने बचत खाते में अधिशेष निधियां रखी थीं और लगभग ₹ 51.87 लाख के अतिरिक्त ब्याज उत्पन्न करने का अवसर गवाया था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 21(2) प्रावधान करता है कि प्रत्येक संस्थान की निधि में क्रेडिट किए गए सारे धन उन बैंकों में जमा किया जाए या इस प्रकार से निवेश किया जाए जैसाकि केन्द्र सरकार के अनुमोदन से निर्णय लिया गया हो।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईटी), गोवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से प्राप्त अनुदानों और विद्यार्थियों से एकत्रित अध्यापन शुल्क (योजनागत अनुदान खाता); विदेश से विद्यार्थियों से विदेशी विद्यार्थियों के सीधे प्रवेश डीएएसए के अंतर्गत प्राप्त शुल्क छात्रावास शुल्क जमा करने के लिए; और प्रायोजित परियोजनाओं से अनुदानों के लिए अलग बचत खातों का अनुरक्षण करता है। जबकि डीएएसए शुल्क और छात्रावास शुल्क से संबंधित बचत खातों में पड़ी हुई निधियों का निवेश मियादी जमा (टीडी), में नहीं किया गया था, एनआईटी ने योजनागत अनुदान खाते में पड़े हुए अधिशेष निधियों को टीडी में निवेश कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनआईटी ने ₹ 4.55 करोड़ की राशि के टीडी का अप्रैल से जून 2014 के दौरान नकदीकरण किया था क्योंकि नकदीकरण की तिथि पर योजनागत अनुदान खाते में निधियां कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और अन्य सामान्य व्यय करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। तत्पश्चात्, यद्यपि एनआईटी को एमएचआरडी से अनुदानों की नियमित प्राप्ति और शैक्षिक प्राप्तियों से आय हो रही थी, उसने जनवरी 2017 तक टीडी में कोई अतिरिक्त निधियों का निवेश नहीं किया था जिसके कारणवश 31 मार्च 2015 को ₹ 6.96 करोड़ और 31 मार्च 2016 को ₹ 14.18 करोड़ तक की राशि की निधियां बचत खाते में व्यर्थ पड़ी हुई थी। अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 के दौरान योजनागत अनुदान से संबंधित बचत खातों में अधिशेष निधियों और डीएएसए शुल्क एवं

छात्रावास शुल्क से संबंधित बचत खातों में निवेश न करने के कारण एनआईटी लगभग ₹ 51.87 लाख की ब्याज आय से वंचित रहा था।

एनआईटी ने बताया (जून 2017) कि एनआईटी की अनुसंधान गतिविधि के लिए गोवा सरकार द्वारा प्रदत्त बोरिम में विद्यालय भवन के नवीकरण कार्य के लिए ₹ 1.99 करोड़ तक अनुमानित समर्पित व्यय को पूरा करने के लिए बचत खाते में रखा हुआ था। ₹ 10 करोड़ की राशि को एनआईटी के नए स्थायी परिसर के लिए चारदीवारी के निर्माण के लिए किए जाने वाले व्यय और सामान्य स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया था। उसने आगे बताया कि बचत खातों में पड़ी हुई राशियां जनवरी और मार्च 2017 के बीच टीडी में निवेशित थीं।

जबकि एनआईटी ने जनवरी और मार्च 2017 के बीच योजनागत अनुदान, डीएएसए शुल्क और छात्रावास शुल्क से संबंधित बचत खातों में पड़ी हुई अधिशेष निधियों को रखकर सुधारात्मक कार्रवाई की थी, यह तर्क की विद्यालय भवन के नवीकरण और स्थायी परिसर के लिए चारदीवारी के निर्माण हेतु समर्पित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से टीडी में निधियों का निवेश नहीं किया जाना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एनआईटी के पास न तो विद्यालय भवन का कब्ज़ा था और न ही 2014 में स्थायी परिसर के लिए भूमि थी। बोरिम में विद्यालय भवन को दिनांक 8 सितम्बर 2016 के आदेश के माध्यम से आवंटित किया गया था और स्थायी परिसर के लिए साइट की केवल जुलाई 2017 में पहचान की गई थी और एनआईटी को अंतरित की गई थी। इस प्रकार, अविवेकी वित्तीय प्रबंधन और निवेश योजना के कारणवश ₹ 51.87 लाख की राशि की ब्याज आय की हानि हुई थी।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (ईग्नू)

12.21 करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण में विलंब

इग्नू ने ₹ 5.29 करोड़ के लिए नवम्बर 2007 में हुडा से करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण के लिए 7,235.4 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण किया था। आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, भूमि का कब्जा लेने से दो वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। हालांकि, इग्नू विभिन्न स्तरों पर सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा भवन का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.41 लाख की परिहार्य लागत के साथ परियोजना के अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने करनाल में एक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), हरियाणा सरकार से ₹4.41 करोड़[58] पर 6,393.60 वर्ग मी. (लगभग) माप की भूमि खरीदी थी। दिसम्बर 2007 में इग्नू द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया था। भूमि के आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ईग्नू को कब्जे की तिथि से दो वर्षों के भीतर निर्माण पूरा करना था। यदि निर्माण न होने के कारण इग्नू के नियंत्रण से बाहर थे तब संपदा अधिकारी, हुडा द्वारा समयसीमा बढ़ाई जा सकती थी।

अक्तूबर 2009 में हुडा द्वारा क्षेत्रीकरण योजना के अनुमोदन के पश्चात् इग्नू ने टर्नकी आधार पर परियोजना के निर्माण के लिए 17 दिसम्बर 2009 को वास्तुकार सह परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में इग्नू ने मैसर्ज राइटस लिमिटेड को नियुक्त किया था। परियोजना को 30 माह अर्थात् 16 जून 2012 तक पूरा करना चाहिए था, लेकिन इसे 31 दिसम्बर 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

तत्पश्चात मार्च 2011 में, हुडा ने इग्नू को सूचना दी कि आवंटित साइट का क्षेत्र 7,235.4 वर्ग मी. था न कि 6,393.60 वर्ग मी. था और 841.68 वर्ग मी. के माप वाले संवर्धित क्षेत्र के लिए मार्च 2011 तक ब्याज सहित ₹ 84.77 लाख[59] की अतिरिक्त मांग रखी थी। इग्नू ने अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 की अवधि

---

[58] 6393.60 वर्ग मी. x ₹ 6900/-प्रति वर्ग मी.

[59] 841.80 वर्ग मीटर x ₹ 6900/-प्रति वर्ग मीटर+मार्च 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए ब्याज के रूप में ₹ 26.69 लाख

के लिए ₹ 2.96 लाख के ब्याज सहित ₹ 87.73 लाख का भुगतान सितम्बर 2011 में किया था।

उसमें अनुमोदन के लिए निविदाओं के प्रस्तुतीकरण में मैसर्ज राइटस की ओर से विलंब एवं विसंगतियों के कारण ईगनू की निर्माण कार्य समिति ने मै. राइट्स से निर्माण कार्य को वापस लेने और उसे सीपीडब्ल्यूडी को सौंपने का निर्णय लिया (25 नवम्बर 2013)। मै. राइट्स के साथ अनुबंध को जुलाई 2014 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, मै. राइट्स द्वारा वास्तु परामर्श सेवाएं इग्नू लेता रहा था। परियोजना पर निर्माण कार्य सितम्बर 2017 तक शुरू नहीं किया गया था।

आगे यह पाया गया था कि इग्नू ने ₹ 35,000/- के मासिक किराए पर इग्नू कार्यालय और गोदाम के रूप में उपयोग के लिए फरवरी 2010 में निजी पार्टी से एक भवन किराए पर लिया था। कार्यालय और गोदाम को 2013 में कार्य समापन के पश्चात् प्रस्तावित नए भवन में स्थानांतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

(i) इग्नू ने न तो कब्ज़ा लेने से पूर्व भूमि का सही माप सुनिश्चित किया था और न ही जिला नगर योजनाकर्ता, करनाल द्वारा दी गई सूचना (अक्तूबर 2009) कि भूमि का क्षेत्र 7,235.40 वर्ग मी. था न कि 6,393.60 वर्ग मी. का समय पर संज्ञान नहीं लिया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान पर ₹ 29.65 लाख का परिहार्य व्यय हुआ था;

(ii) इग्नू ने विस्तार शुल्क के रूप में हुडा को ₹ 1.36 लाख का भी भुगतान किया था। यह तब तक लगता रहेगा जब तक निर्माण पूरा नहीं होता;

(iii) निविदा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में मैसर्ज राइटस की ओर से विलंब के साथ इग्नू के भाग पर सीपीडब्ल्यूडी के साथ ईगनू द्वारा एमओयू. पर हस्ताक्षर करने में तीन वर्ष का अतिरिक्त विलंब हुआ था जिसका कारण कानूनी पुनरीक्षण और वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदनों को प्रदान करने में विलंब बताया गया था। एमओयू.पर अक्तूबर 2017 में हस्ताक्षर हुए थे और निर्माण अभी शुरू किया जाना था; और

(iv) मै. राइटस के साथ अनुबंध में ऐसे शुल्क के अधिकतम 10 प्रतिशत तक विलंबित निर्माण कार्य के लिए भुगतान योग्य शुल्क के प्रत्येक सप्ताह के विलंब के लिए 0.25 प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति लगाया जाना प्रदान किया गया था। हालांकि, इग्नू ने निविदा की प्रक्रिया में विलंब हेतु मैसर्ज राइटस से ₹ 3.93 लाख तक की राशि के मुआवजे की वसूली नहीं की थी।

इस प्रकार, इग्नू द्वारा विभिन्न स्तरों पर सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफलता के कारण ₹5.29 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2007 में अधिग्रहित भूमि पर भवन के निर्माण में विलंब के साथ सितम्बर 2017 तक ₹ 46.41 लाख[60] का परिहार्य व्यय भी हुआ था।

मामला अगस्त 2017 में इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

[60] ब्याज भुगतान हेतु ₹ 29.65 लाख+@₹ 35,000/- प्रति माह से 44 महिनों के किराये के लिए ₹ 15.40 लाख+ विस्तार शुल्क के लिए ₹ 1.36 लाख